बृहस्पतिवार,
६ मई, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

विषय-सूची

अंक ३—२४ अप्रैल से २१ मई १९५४

पृष्ठ भाग

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २८८३–२९२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९२४–२९२८

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९२९–२९६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९६६–२९७२

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९७३–३०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०१८–३०२४

सोमवार, ३ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०२५–३०६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०६४–३०६८

मंगलवार, ४ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०६९–३११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३११५–३१२२

पृष्ठ भाग

बुधवार, ५ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१२३–३१७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३१७३–३१८२

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१८३–३२१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२१९–३२२२

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२२३–३२६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२६८–३२८०

सोमवार, १० मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२८१–३३२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३२४–३३४०

मंगलवार, ११ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३४१–३३८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३८६–३३९८

	पृष्ठ भाग
बुधवार, १२ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३३९९–३४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३४४६–३४७०
बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३४७१–३५१७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३५१७–३५४२
शुक्रवार, १४ मई, १९५४	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३५४३
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या २४९१ से २४९५, २४९७ से २५०८, २५१० से २५११ और २५१३ से २५२१	३५४३–३५९२
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १३	३५९२–३५९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या २४९६ से २५१२ और २५२२ से २५२६	३५९७–३६०१
अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ से ५८९, ५९१ और ५९२	३६०१–३६१०
बुधवार, १९ मई, १९५४	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३६११
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १४	३६११–३६१४
शुक्रवार, २१ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १५ से १७	३६१५–३६२४

लोक सभा

वृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

सभा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कलकत्ता अजायब घर

*२२७४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि क्या कलकत्ते के अजायबघर के लिए कोई अतिरिक्त इमारत बनाई गई है ।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : जी नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : पिछली दो वार्षिक रिपोर्टों से पता लगता है कि वही कठिनाई बराबर चल रही है। तथा स्थान की कमी होने के कारण 'स्प्रिट' में रखी गई बस्तुएं भी तंग स्थानों में पड़ी हुई हैं। जब ९ लाख रुपए की व्यवस्था कर दी गई थी तो फिर इस इमारत के बनाने में क्या कठिनाई थी ?

डा० एम० एम० दास : यह सच है कि उचित और पर्याप्त स्थान की कमी कलकत्ता अजायबघर के लिए एक समस्या बनी रही है तथा प्राधिकारियों ने इसे हल करने के सम्बन्ध • में कदम उठाए हैं । केन्द्रीय सरकार, पश्चिमी बंगाल सरकार

तथा अजायबघर के न्यासधारियों के प्रतिनिधियों के बीच एक सम्मेलन हुआ था तथा उन्होंने यह निश्चय किया था कि भारतीय भूतत्वीय परिमाप की तथा अन्य विभागों की शीघ्र ही आग पकड़ लेने वाली वस्तुओं को रखने के सिए अग्नि सिद्ध इमारत बनाई जाए । जहां तक इस इमारत को बनाने का प्रश्न है कुछ प्रगति हो चकी है ।

सरदार हुक्म सिंह : इस कार्य के लिए ९ लाख रुपए की जो व्यवस्था की गई थी उसमें से गत वर्ष कितनी राशि व्यय की जा सकी थी ?

डा० एम० एम० दास : इस अग्नि सिद्ध इमारत को बनाने के लिए चालू वर्ष में १० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि गत् वर्ष कितनी राशि व्यय की गई थी ।

डा० एम० एम० दास : योजना को अभी कार्यान्वित करना आरम्भ नहीं किया गया है, इसलिए गत् वर्ष कोई राशि व्यय नहीं की गई थी ।

सरदार हुक्म सिंह : जब स्प्रिट में रखी हुई वस्तुओं को आजकल तंग स्थानों में रखा जाता है तो सावधानी के लिए क्या कार्यवाही की जाती है ?

डा० एम० एम० दास : जब कभी भी यह मालूम पड़ता है कि आग लग जाने की सम्भावना है तो अतिरिक्त रूप से सावधानी से काम लिया जाता है । लेकिन सबसे प्रभावी और उपयुक्त चीज इस इमारत को बनाना होगा ।

सेठ गोविन्द दास : क्या दिल्ली में एक अजायबघर बनाने का विचार है और क्या कलकत्ता अजायबघर से दिल्ली अजायबघर में कोई वस्तुएं लाने की योजना है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक राष्ट्रीय अजायबघर के लिए इमारत का सम्बन्ध है, एसा एक प्रस्ताव है । लेकिन जहां तक कलकत्ता अजायबघर से वस्तुएं लाने का सम्बन्ध है, मुझे ऐसी किसी योजना का ज्ञान नहीं है ।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप

*२२७५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों से आने जाने के साधनों में सुधार हुआ है ;

(ख) १९५४ में आवागमन के साधनों में अग्रेतर सुधार करने के क्या प्रस्ताव हैं ;

(ग) हवाई अड्डे बनाने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के सम्बन्ध में क्या कोई प्रयास किया गया है ;

(घ) क्या सरकार का विचार यात्रियों और सामान के लिए जहाजों की संख्या बढ़ाने का है ; तथा

(ङ) यदि हां, तो कितने और कब ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) जी हां ।

(ख) १९५४ में आवागमन के साधनों में सुधार करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव हैं ।

(१) यह सुझाव है कि जब कभी भी इमारती लकड़ी सरकारी अधिकृत जहाज—एस० एस० "महाराजा" की सामर्थ्य से अधिक हो तो कानफ्रेन्स लाइन्स के जहाज किराये पर ले लिये जायें ।

(२) अन्तरद्वीप आवागमन के लिये एक छोटा सा जहाज़ खरीदने का विचार है । उपयुक्त जहाज ढूंढने के सम्बन्ध में प्रयास किया जा रहा है ।

(३) कलकत्ते से अण्डमान को यात्री ले जाने और लाने के सम्बन्ध में मैसर्स पी० सी० रे एन्ड कम्पनी (उत्तरी अण्डमान जंगलो के पट्टेदार) को अपने जहाज़ चलाने की मंजूरी देने का सुझाव विचाराधीन है जब कि उसे अन्डमान से एस० एस० "रणदमन" और एस० एस० "भारत खण्ड" द्वारा डाक लाने ले जाने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है ।

(४) मैसर्स ईस्टर्न शिपिगं कारपोरेशन से कहा जा रहा है कि वह ईस बात पर तैयार हो जाये कि जब वह अपनी मद्रास सिंगापुर सर्विस आरम्भ करें तो दो महीने में एक बार उसका जहाज पोर्ट ब्लेयर में भी जाय । यदि यह बात मान ली जाती है तो सरकार अपने अधिकृत जहाज एस० एस० "महाराजा" को कलकत्ते और पोर्ट ब्लेयर के बीच अधिक बार चला सकेगी ।

(ग) अण्डमान में हवाई अड्डे के लिये उपयुक्त स्थान ढूढने का प्रयास अब

तक असफल रहा है । लेकिन खोज जारी है ।

(घ) तथा (ङ)। भाग (ख) के उत्तर में दिये गये उपयुक्त प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, इस समय सरकार का किसी और जहाज को अधिकृत करने का विचार नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि पिछले कई वर्षों से सरकार दो जहाजों और कभी एक जहाज को अधिकृत करती रही है । अब तक सरकार ने इस पर कितना धन व्यय किया है तथा क्या उसका विचार अपना स्वयं का एक जहाज बनाने का है ?

श्री दातार : सरकार का विचार एक छोटा जहाज़ खरीदने का है और इस कार्य के लिये १९५४-५५ के बजट में ५ लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि क्योंकि जहाज अधिकृत किये जा रहे हैं और उनकी दरें बढाई जा रही हैं, इसलिये सामन और यात्री किराया भी बढा दिया गया है ?

श्री दातार : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है हम लाभ ही में हैं । हम जहाज़ के मालिकों को जो कुछ देते हैं उनसें वसूल कर लेते है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या सामान और यात्रियों के किराये बढ़ा दिये गये हैं।

श्री दातार : कुछ सीमा तक बढ़ गये हैं और इसीलिये हम ने भी दरें बढ़ा दी हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि १५ प्रतिशत तक वृद्धि हुई है ।

श्री दातार : मेरा भी यही विचार है लेकिन हो सकता है मैं ठीक न होऊं ।

श्री भागवत झा आजाद : उत्तरी अण्डमान, मध्य अण्डमान तथा दक्षिणी अण्डमान, तीनों अण्डमानों के बीच प्रति पखवारे म केवल एक जहाज चलता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि अन्तर द्वीप आवागमन के साधनों में वृद्धि करने के क्या उपाय किय गये हैं जिससे जनता को कम असुविधा हो ?

श्री दातार : सरकार इस बात से भली भांति परिचित है कि अन्तरद्वीप आवागमन के साधनों के कारण लोगों को कितनी असुविधा उठानी पड़ती है । इसी कार्य के लिये एक छोटा जहाज खरीदा जा रहा है तथा इसके लिये ५ लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गई है ।

केन्द्रीय सरकार छात्रवृत्ति

*२२७८. **श्री एन० बी० चौधरी :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की अन्तर्देशीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गो कों भारत में पोस्ट-मैट्रीकुलेशन अध्ययन के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्तियां, विद्यार्थियों के किसी भी वर्ष में असफल रहने पर रोक दी जाती हैं ?

(ख) क्या छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा फलों के सम्बन्ध में कोई विशेष नियम बनाये गये है ?

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों के साथ कोई रियायत की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां । केवल डाक्टरी और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को छोड़ कर जो इन विषयों में पहली बार ५ प्रतिशत नम्बरों से अधिक से असफल नहीं रहते हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं । छात्रवृत्तियों को आगें के लिये जारी रखने के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त बनाये गये हैं वे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के उम्मीदवारों के लिये एक से हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या ऐसे विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कोई रियायत की जाती है जो विशेषकारणों वश परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं, जैसे बीमारी ?

डा० एम० एम० दास : जी हां, प्रावधान है । यदि उस संस्था का अध्यक्ष जिसमें विद्यार्थी पढ़ रहा है, यह सिफारिश करे कि वह किसी बीमारी में फंसा हुआ था और इस बात का डाक्टरी प्रमाण पत्र भी उपस्थित किया जाये तो छात्रवृत्ति आगे के लिये बढ़ाई जा सकती है ।

श्री एन० बी० चौधरी : ऐसे विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है जिनके बारे में ऐसा करना आवश्यक हो गया है ?

डा० एम० एम० दास : इस समय मेरे लिये यह आंकड़े बतलाना सम्भव नहीं है ।

श्री गणपति राम : क्या माननीय मंत्री बतला सकते हैं कि अभी तक कितने विद्यार्थियों को रुपया भेजा गया हैं और कितने लोगों का रुपया बैंकों को ग़लत इन्फारमेशन देने की वजह से लौट आया है !

डा० एम० एम० दास : इस समय मेरे पास विस्तृत सूचना नहीं है ।

संगीत और नृत्य के सम्बन्ध में पाठ्य पुस्तकें

*२२७९. **श्री संगण्णा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने संगीत नाटक अकादमी से संगीत और नृत्य के सम्बन्ध में प्राचीन पाठय-पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये अनुदान की प्रार्थना की हैं, तथा

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला !

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ऐसा समझा जाता है कि अभी तक एसी कोई प्रार्थना अकादमी तक नहीं पहुंची है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री संगण्णा : अनुदानों के लिये प्रार्थना पत्र किस के पास जाते हैं—संगीत नाटक अकादमी या राज्य सरकारों के पास ?

डा० एम० एम० दास : राज्य सरकारों का इससे कोई सम्बन्ध नही है । संगीत नाटक अकादमी एक स्वायत्त संस्था है और वह कन्द्रीय सरकार से परामर्श किये बिना भी अनुदान दे देती है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न है कि प्रार्थना पत्र किसके पास जाते हैं—राज्य सरकारों के पास या संगीत नाटक अकादमी के पास ।

डा० एम० एम० दास : संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जाते हैं ।

श्री संगण्णा : इस कार्य के लिये क्या अन्य राज्यों को भी ऐसे अनुदान दिये गये हैं ?

डा० एम० एम० दास : जी हां, १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा विभिन्न राज्यों की विभिन्न संस्थाओं को कुल ७५,००० रुपये दिये गये थे ।

श्री संगण्णा : उन संस्थाओं के नाम क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हमें इस समय इन विस्तार की बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है ।

काश्मीर को सहायता

*२२८०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने काश्मीर को सहायता तथा ऋण के रूप में कितनी राशि दी है; और

(ख) इस में से कितनी राशि विकास योजनाओं के लिये दी गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जम्मू और काश्मीर सरकार को ८,६३,०५,००० रुपये की राशि का ऋण व्याज पर दिया गया है और ६,३३,५८,००० रुपये की राशि 'काश्मीर की सहायता' के अधीन दी गई है । इस के अतिरिक्त लगभग ३२४ लाख रुपये की राशि मार्च १९५३ तक जम्मू-पठानकोट, सड़क के उस भाग पर व्यय की गई है जो राज्य के क्षेत्र में आता है ।

(ख) २३३.८० लाख रुपये की राशि विकास योजनाओं के सम्बंध में दी गई है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या हम जान सकते हैं कि इस में लोएस्ट रेट आफ इंट्रेस्ट क्या है ?

डा० काटजू : इंट्रेस्ट क्या मैं समझा नहीं ?

एक माननीय सदस्य : ब्याज

डा० काटजू : भिन्न भिन्न मदों पर यह ३ से ४ प्रतिशत तक है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या हम जान सकते हैं कि सिल्क इंडस्ट्री की उन्नति के वास्ते इस में और कुछ रुपया उन को दिया गया है ?

डा० काटजू : मेरे पास इस वक्त तफसील नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार को विदित है कि अब तक दिये गये ऋण में से कितना व्यय हुआ है ?

डा० काटजू : ये राशियां गत आठ वर्षों मे दी गई हैं और मेरा विचार है कि इस में से बहुत व्यय हो चुका है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या लगभग २० करोड़ की जो राशि दी गई है वह किसी विशेष कलाविधि से सम्बधित है और क्या इस के अतिरिक्त और राशियां भी दी गई हैं ?

डा० काटजू : जम्मू और काश्मीर सरकार को और कोई राशि नहीं दी जाती है ।

सैनिकों की पेन्शन

*२२८२. **श्री रणदमन सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) विन्ध्य प्रदेश के कितने ऐसे सैनिक तथा अफसर हैं जो १९५० में सेना से रिटायर हो गए थे और जिन्हे अभी तक पेन्शन या उपदान नहीं मिला है ?

(ख) इस में देरी के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन लोगों को पेन्शन के साथ कोई महंगाई भत्ता देने का निर्णय किया है ;

(घ) यदि हां, तो यह कब से दिया जाने लगेगा ; और

(ङ) क्या १९५० से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता दिया जायेगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ऐसे ९३० दावों में से पदाधिकारियों के १३ निवृत्ति वेतन उपदान के दावे और अन्य पदों के १० निवृत्ति वेतन उपदान के दावे बाकी हैं।

(ख) इन दावों का निबटारा कई कारणों से नहीं हो सका जैसे मूल पद के वेतन सम्बन्धी औसत वेतन का विवरण का न होना, सेवा सम्बन्धी प्रलेख पूरा न होना, और पहली सेवा की गणना प्राप्त न होनी, इत्यादि।

(ग) विंध्य प्रदेश बनने के पूर्व, रीवा, पन्ना और दतिया राज्यों में सेवा निवृत्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता था। इन तीन राज्यों के सेवा निवृत्त सैनिकों का भत्ता जारी रखने के लिए सरकारी आदेश जारी किये गये हैं। विंध्य प्रदेश के अन्य राज्यों के सेवा निवृत्त सैनिकों को यह रियायत देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(घ) भूतपूर्व रीवा, पन्ना और दतिया राज्यों के सेवा निवृत्त सैनिकों के मामले में ज्यों ही लेखा परीक्षा पदाधिकारी नवीनतम आदेशों के अधीन भत्ते के दावे स्वीकार किये जायेंगे त्यों ही देनगियां आरम्भ हो जायेंगी।

(ङ) जी हां।

श्री रणदमन सिंह : मैं चूंकि अंग्रेजी नहीं जानता, इस लिए मंत्री महोदय मुझे अपने उत्तर को हिन्दी में समझाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को उत्तर समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये थी। क्या मंत्री हिन्दी में उत्तर दे सकते हैं ?

सरदार मजीठिया : इस का पूर्ण अनुवाद देना कठिन है परन्तु मैं प्रयास करूंगा।

(क) ९३० क्लैम्स् में से १३ आफिसर्स के पेंशन और ग्रेचुएटी क्लेम्स् हैं और दस अंडर रैंक्स् के हैं जो अभी बाकी हैं।

(ख) क्लेम्स् इसलिये सैटिल नहीं हो सके क्योंकि उनका एव्रैज पे स्टेटमेंट जो कि उनके पिछले रैंक के बारे में था वह अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा था, उनके सर्विस डाक्युमैंट्स हमारे पास नहीं पहुंचे थे और कइयों की पुरानी जो सर्विस है उसके बारे में भी मालूम नहीं हुआ।

(ग) और (घ)। विन्ध्यप्रदेश के बनने से पहले रीवा, पन्ना और दतिया में पेंशनर्स को जो डियरनैस अलाउंस दिया जाता था, वह उनको दिया जाता है। विन्ध्यप्रदेश की दूसरी जो और स्टेट्स है उनमें भी पेंशनर्स को डियरनैस अलाउंस देने के बारे में देखभाल हो रही है। रीवा, पन्ना और दतिया में पेंशनर्स को डियरनैस अलाउंस जारी रखने के बारे में आर्डर दे दिया गया है। मगर उनकी जांच पड़ताल आडिट अथारिटी ने करनी है, उसके पूरा होजाने के बाद उनको वह अलाउंस मिलना शुरू हो जायेगा।

(ङ) जी हां।

श्री रणदमन सिंह : वहां पर इसके बारे में कई दफा जिक्र किया गया तो कहा

जाता है कि सन् ५० से पहले जो रिटायर हुए हैं उनको मंहगाई भत्ता नहीं मिलेगा, पहले जब देशी राज्यों का शासनकाल था उस वक्त पुराने पैंशनर्स क्रमशः ९, १० और ११ रुपये तक मंहगाई भत्ता पाते थे तो अब जब वे केन्द्रीय शासन में आगये हैं तो उनको मंहगाई भत्ता क्यों न मिले ?

सरदार मजीठिया : जो १९५० से पहले रिटायर हुए हैं उनके साथ वही सलूक किया जायेगा जो कि सिविलयन के साथ किया जाता है, जिस कंडीशन के साथ उनको दिया जाता है, उसी कंडीशन के साथ उनको भी दिया जायेगा।

श्री भागवत झा आज़ाद : आपने अपने उत्तर में बतलाया कि इन लोगो के क्लेम्स में इसलिये देरी होरही है क्योंकि आपके पास उनके सर्विस डाक्युमेंट्स या और जो चीज़ें आपने बतलाई, उनके न आनँ के कारण इन लोगों के क्लेम्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि दूसरों की गैर जवाबदेही की उन्हें क्यों सज़ा मिल रहीं है ?

सरदार मजीठिया : उनकी जवाबदेही के लिये स्टेट्स गवर्नमेंट्स से पूछा जा रहा है, और जब उनसे जवाब आजायेगा तो उन्हें मिल जायेगा।

श्री गाडगिल : क्या यह सच नहीं है कि रक्षा सेवाओं के जो व्यक्ति सेवा-निवृत्त होगये हैं उनके सेवा-निवृत्त वेतन.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। क्योंकि माननीय सदस्य का मुख अध्यक्ष की ओर नहीं इस लिए अध्यक्ष नहीं सुन सके। उन्हें अध्यक्ष को सम्बोधित करना चाहिये।

श्री गाडगिल : क्या यह सच है कि बहुत से व्यक्ति सेवा-निवृत्त हो गये हैं और वर्षों से उन के सेवा-निवृत्ति के पत्र तैयार नहीं हुए ?

अध्यक्ष महोदय : जहां तक विंध्य प्रदेश का सम्बन्ध है ?

श्री गाडगिल : मैं विंध्य प्रदेश की नहीं वरन अन्य राज्यों की बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का सम्बन्ध केवल विंध्य प्रदेश से है।

सरदार मजीठिया : कोई बात नहीं मैं इस प्रश्न का बिना तैयारी के उत्तर देता हूं। कठिनाईयां एक सी हैं। कभी तो अभीलेख उपलब्ध नहीं होते क्योंकि विभाजन पश्चात पश्चिमी पाकिस्तान के मूल निवासी आये थे और उन के अभिलेख नहीं दिये गये उन के कटक-दल वहां थे और कुछ मामलों में युद्ध के कारण उन के सेवा अभिलेख तैयार नहीं हुए ये सब कठिनाईयां हैं और उन्हें सेवा-निवृत्ति वेतन देने से पूर्व पत्रों की पूरी जांच करनी है।

श्री गाडगिल : इस बीच में लोग मर भी गये हैं।

पंजाब के लिए ऋण

*२२८४. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक चंडीगढ़ में राजधानी की रचना के लिए पंजाब सरकार को कितनी राशि का ऋण दिया गया है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को और राशि दने का विचार है; और

(ग) यदि ऐसा है तो कितनी ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) ७५ लाख रुपये।

(ख) तथा (ग)। १९५४-५५ में दी जाने वाली राशि का अभी निर्णय नहीं हुआ तो भी पंजाब सरकार ने राजधानी परियोजना के लिए १६८ लाख रुपये के ऋण की

मांग की है। इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री डी० सी० शर्मा : जो ऋण उन्होंने मांगा है वह कब तक दिया जायेगा और क्या यह ऋण राजधानी की रचना के लिए पर्याप्त है ?

श्री बी० आर० भगत : यह ऋण चालू वर्ष के लिए मांगा गया है और योजना आयोग इस पर विचार कर रहा है। मेरा विचार है कि शीघ्र ही इस मास में इस का अन्तिम निर्णय हो जाएगा। इस सम्बन्ध में कि यह कहां तक पर्याप्त है, योजना काल में राजधानी परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने जिस ऋण का उपबंध किया है वह ३ करोड़ रुपया है, जिस में से ७५ लाख रुपया गत वर्ष अर्थात १९५३-५४ में व्यय किया गया था। इस में से बकाया २·२५ करोड़ रुपया रह जाता है जिस में से १६८ लाख रुपये की राशि के सम्बन्ध में इस समय विचार किया जा रहा है। बकाया शेष योजना काल के लिए रहेगा। इस प्रकार यह पर्याप्त है और इसका क्रम सर्वथा ठीक है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच है कि राजधानी की रचना की गति इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि ऋण समय पर मंजूर नहीं किये गये ?

श्री बी० आर० भगत : नहीं श्रीमान्। ऋणों की मंजूरी समय पर दी गई है और जहां तक गत वर्ष का सम्बन्ध है उनका प्रयोग किया जा चुका है ?

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इस ऋण में कुछ राशि उन लोगों के लिए नियत की जाएगी जो चंडी गढ़ में अपने घर बनाना चाहते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : जहां तक पुनर्वास के लिए मकानों की रचना का सम्बन्ध है राज्य सरकार ने और ३३४ मकानों की रचना के लिए ४४ लाख रुपये के ऋण की एक अलग प्रस्थापना भेजी है। इस ऋण पर विचार किया गया था। क्योंकि यह राजधानी परियोजना का भाग नहीं था और यह एक नई योजना थी जिस का योजना में उपबंध नहीं था, योजना आयोग ने इसे ना मंजूर कर दिया है।

श्री डी० सी० शर्मा : इस ऋण में से कितनी राशि पंजाब विश्व विद्यालय के लिए नियत की जायेगी ?

श्री बी० आर० भगत : इस बात का निर्णय राज्य सरकार ने करना है।

फसलों की वित्तीय-सहायता

*२२८५. **श्री विभूमि मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के रक्षित बैंक ने १९५३ में फसलों की वित्तीय सहायता के लिए राज्य सहकारी बैंको को कितनी राशि दी है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : १ जुलाई १९५३ और ५ मार्च १९५४ के बीच भारत रक्षित बैंक ने ऋतु सम्बन्धी कृषि कार्यों और फसलों की बिक्री के लिए विभिन्न राज्य सहकारी बैंकों को १४९४.९० लाख रुपये की मंजूरी दी थी जिस में से उस तिथि तक वस्तुतः १०१९·२७ लाख

रुपये निकाले गये। दी गई राशि के क्रमानुसार आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

राज्य	(रुपये लाखों में) दी गई राशि
मद्रास	१९०·६२
बम्बई	४३९·३६
आंध्र	२५९·७१
मध्य प्रदेश	२०·९५
उत्तर प्रदेश	४८·६५
उड़ीसा	२१·००
पश्चिमी बंगाल	१८·००
पंजाब	१५·२१
हैदराबाद	४·०७
सौराष्ट्र	१·७०
कुल	१०१९·२७

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार प्रान्तीय स्टेट बैंक को हिदायत कर सकती है कि किसानों को क्रोप फाइनेंसिंग के लिए जो कर्ज़ें दिये जाते हैं उन का सूद ३ या ४ फी सदी से ज्यादा न हो?

श्री ए० सी० गुहा : केन्द्रीय सरकार ऐसी शर्तें नहीं लगा सकती। रक्षित बैंक यह राशि राज्य सहकारी बैंकों को १ ½ प्रतिशत की बहुत रियायती दर पर यह राशि दे रहा है यद्यपि इस समय बैंक की दर ३ ½ प्रति शत है।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार यह आदेश कर सकती है कि यदि कोई किसान कर्ज़ की रकम नकद रुपये की बजाय गल्ले के रूप में देना चाहे तो वह गल्ला उस से ले लिया जाये ?

श्री ए० सी० गुहा : ये सब राज्य विषय हैं। यह तो माननीय सदस्यों को राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहिये कि वे सहकारी बैंकों का ठीक प्रकार से संगठन करें।

डा० राम सुभग सिंह : उपमंत्री ने अभी बताया है कि रक्षित बैंक बहुत रियायती दरों पर सहकारी बैंकों को ऋण दे रहा है। परन्तु यदि मुझे ठीक याद है तो पहले एक बार माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि सहकारी बैंक कृषकों से ६ से १५ या २५ प्रति शत तक ब्याज ले रहे हैं। उस समय उन्होंने सदन को विश्वास दिलाया था कि वे इस ब्याज की दर को नियमित करने का प्रबन्ध करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उस समय यदि मुझे ठीक याद है तो वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि सहकारी बैंक अधिक दर के ब्याज से अन्य संसाधनों से वित्त प्राप्त कर रहे हैं। इस विषय पर तो चर्चा की आवश्यकता है।

श्री ए० सी० गुहा : यदि आप मुझे बीच में बोलने की अनुज्ञा दें तो वस्तुतः यह मामला मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सदन के समक्ष आया था जब मैं वहां बैठा होता था। उस के पश्चात स्थिति बहुत सुधर गई है।

दियासलाई पर उत्पादन शुल्क

*२२८३. **श्री वीरस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्रमानुसार १९५१, १९५२ और १९५३ के वर्षों में दियासिलाई पर उत्पादन शुल्क की कुल कितनी राशि एकत्र की गई ; और

(ख) इन वर्षों में से प्रत्येक में मद्रास राज्य में कितनी राशि एकत्र की गई ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४२**]

श्री वीरस्वामी : क्या सरकार को मद्रास राज्य के दियासिलाई निर्माताओं की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है, यदि ऐसा है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ए० सी० गुहा: किस सम्बन्ध में अभ्यावेदन।

अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट है उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में।

श्री ए० सी० गुहा : मुझे सूचना चाहिये। इतने अभ्यावेदन आये हैं कि उन में कोई अभ्यावेदन मद्रास का भी अवश्य होगा।

श्री जांगड़े : क्या सरकार ने कुटीर उद्योगों में बनाई गई दियासिलाइयों को उत्पादन शुल्क से विमुक्त कर दिया है ?

श्री ए० सी० गुहा : दियासिलाई के छोटे कारखानों को एक छूट दी जाती है।

श्री वीरस्वामी : क्या मद्रास के दियासिलाई निर्माताओं ने सरकार से प्रार्थना की है कि दियासिलाई और दियासिलाई की डिब्बियां बनाने के लिए उन्हें अंडेमान से लकड़ी लाने की अनुज्ञा दी जाए ?

श्री ए० सी० गुहा : अंडेमान से दियासिलाई की लकड़ी लाने की सर्वथा अलग प्रश्न है। यदि माननीय सदस्य नये प्रश्न की पूर्व सूचना दें तो मैं उन्हें जानकारी दे सकुंगा।

अनुसूचित जाति इत्यादि का कल्याण

*२२८७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस व्यय की मुख्य मदें क्या हैं जिन के सम्बन्ध में, १९५३-५४ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण के लिये राज्य सरकारों को सहायक अनुदानों का नियतन किया गया था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :

१. कृषि विकास।
२. आर्थिक उत्थान।
३. शिक्षा की उन्नति (छात्रावास तथा छात्रवृत्तियां समेत)।
४. सार्वजनिक स्वास्थ्य, मलेरिया विरोधी कार्यवाईयों समेत।
५. सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत।
६. मकानों का निर्माण तथा मरम्मत।
७. कुओं का खोदना।
८. प्रोपैगण्डा तथा प्रचार।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सच नहीं है कि राज्य सरकार अभी तक कल्याण योजनाओं का केवल कुछ अंश ही पूरा कर पाई है तथा प्रत्येक वर्ष निधि कालातीत हो जाती है ? यदि हां, तो इस का मुख्य कारण क्या है तथा सरकार ने उस को दूर करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

श्री दातार : राज्य सरकारें इन सभी योजनाओं को सामान्यत: पूरा करती रही हैं। बहुत ही थोडे ऐसे मामले हैं जब कि विधियां कालातीत हो गई हैं उन के सम्बन्ध में भी उपाय किये जा रहे हैं।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार ने कल्याण योजनाओं के कार्यकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से रिपोर्टें मांगी है, यदि हां, तो क्या उन रिपोर्टों की एक प्रति सदन पटल पर रखी जायेगी ?

श्री दातार : जहां तक रिपोर्ट मंगाने का सम्बन्ध है, ऐसी सारी रिपोर्टें अनुसूचित

जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त की रिपोर्ट में प्रकाशित की जायेंगी ।

श्री तिम्मय्या : विभिन्न राज्यों को धनराशि का नियतन किस आधार पर किया गया है ?

श्री दातार : इस का आधार है विभिन्न राज्यों की आवश्यकतायें तथा विभिन्न योजनाओं को पूरा करने की उनकी क्षमता ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने हरिजनों के गृहनिर्माण के सम्बन्ध में कितनी सहायता समूचे देश के लिये दी है ?

श्री दातार : केन्द्रीय सरकार यह धनराशि उस राशि के अतिरिक्त देती रही है जो कि राज्य सरकारें स्वयं खर्च करती रही हैं तथा इन योजनाओं पर खर्च की जाने वाली कुल धनराशि लगभग ३७ करोड़ रुपये हो जाती है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और दूसरे पिछड़े हुए लोगों के लिये जो ग्रांट १९५३-५४ के लिये दी गई है, उसके लिये राज्य सरकारों ने कोई प्रोगराम बनाकर भेजा था या सरकार ने अपने मन से उसको ग्रांट दी ?

श्री दातार : नहीं । राज्य सरकारों ने कुछ योजनायें प्रस्तुत की थीं जिन को वे स्वयं पूरा करना चाहती थी तथा कुछ ऐसी योजनायें प्रस्तुत की थीं जो वे गैर सरकारी अधिकरणों द्वारा पूरा करना चाहती थीं । पहले इन योजनाओं की जांच की गई उस के पश्चात् केन्द्रत् द्वारा अनुदान दिये गये ।

केन्द्रीय सचिवालय के चपरासी

*२२८९. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** क्या गृह-कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (१) १ अप्रैल, १९४८ को (२) १ अप्रैल, १९५१ को तथा (३) १ अप्रैल, १९५४ को केन्द्रीय सचिवालय में चपरासी की संख्या कितनी थी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिमी कमान का मुख्यालय

*२२९०. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पश्चिमी कमान के मुख्यालय के शिमला को स्थानान्तरण किये जाने का अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ; तथा

(ख) यदि, हां तो यह मुख्यालय शिमला में कब से काम करना आरम्भ कर देगा ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) हां । यह निर्णय कुछ मास पूर्व किया गया था ।

(ख) मुख्यालय का एक बहुत बड़ा भाग शिमला जा चुका है तथा उसने वहां काम भी आरम्भ कर दिया । १५ मई, १९५४ तक इस सारे काम के पूरे हो जाने की आशा की जाती है । वास्तव में स्थानान्तरण का एक चमत्कार है ।

डा० राम सुभग सिंह : पश्चिमी कमान के मुख्यालय को यहां से शिमला भेजने पर कुल खर्चा कितना हुआ है ?

श्री त्यागी : पहले विचार किया जाता था कि ४५ लाख से लेकर ५०

लाख रुपया तक खर्च होगा जिस में नये भवन निर्माण करने का भी एक प्रस्ताव था। अब वह विचार त्याग दिया गया है इस लिये खर्चा भी कम हो गया होगा। मुझे खेद है कि मेरे पास निश्चित आंकडे नहीं हैं।

डा० राम सुभग सिंह : इस स्थानान्तरण से वहां की आवास परिस्थित में किस हद तक सुधार हुआ है, और पश्चिमी कमान के कर्मचारियों ने जो मकान खाली किये हैं उन का किस प्रकार उपयोग किया जाने को है ?

श्री त्यागी : यह मकान आवास मंत्रालय के सिपुर्द कर दिये जायेंगे। मैं आशा करता हूं कि इन मकानों के नियतन में रक्षा कर्मचारियों को अधिमान्य दिया जायेगा।

श्री जी० पी० सिन्हा : कमान के केन्द्रों को स्थानान्तरित करने के समय क्या राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है ?

श्री त्यागी : नहीं। कमान के इन केन्द्रों का निर्णय सैनिक महत्व के आधार पर किया जाता है।

पश्चिम गोदावरी के कोयला निक्षेप

*२२९१. **श्री रघुरामय्या** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास पश्चिम गोदावरी जिले में बहुत बड़े पैमाने पर कोयले के निक्षेपों का पता लगने के सम्बन्ध में कोई सूचना है ?

प्राकृतिक ससाधन तथा वैज्ञानिक गवषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : हैदराबाद तथा आंध्र के समीपवर्ती भागों के गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्रों के अतिरिक्त, जिन का भारतीय भूतत्वीय परिमाप को बहुत समय से पता है, आंध्र के पश्चिम गोदावरी ज़िले में कोयले के किसी और नये क्षेत्र के ज्ञात होने की कोई सूचना भारतीय भूतत्वीय परिमाप को नहीं है।

श्री रघुरामय्या : 'आंध्र के समीपवर्ती भाग' कौन से हैं जिनका उत्तर में हवाला दिया गया हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास कुछ नाम हैं। मैं नहीं कह सकता कि वह हैदराबाद में हैं या आंध्र में हैं। जिन स्थानों पर कोयला तथा कोयले वाली बाराकर चट्टानें पाई गई हैं वह हैं लिंगाला पूर्व गोदावरी ज़िले में गवितो देवी पेटा के निकट तथा पश्चिम गोदावरी ज़िले में हैं बेदादानूरू तथा यरीगुदम के निकट।

श्री रघुरामय्या : यह कोयला कोक बनाने योग्य कोयला है या कोक न बनाने योग्य कोयला है तथा क्या भारी परिमाण में नमूना जांच की जा चुकी है ?

श्री के० डी० मालवीय : कोयले वाली चट्टानों के स्थिति होने का पता गत शताब्दी के उत्तरार्ध से है। १९४७ में भारतीय भूतत्वीय परिमाप द्वारा इस का पुष्टिकरण कर दिया गया था। यह तहें चार इंच से लेकर एक फुट तक मोटी हैं तथा १५६ से लेकर २०६ फुट तक गहरी हैं। जहां तक कोयले की निश्चित किस्म का सम्बन्ध है मुझे खेद है कि मेरे पास कोई निश्चित जानकारी अभी नहीं है। संभवत: यह कोयला बहुत अच्छे किस्म का नहीं है।

रक्षा सेवाओं में अतिरेक अफसर

*२२९२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में, छंटनी में निकाले हुए तथा अतिरेक सैनिक तथा "असैनिक

अफसरों के खपाये जाने की योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक पदों में खपाय गये व्यक्तियों की संख्या; तथा

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन के नाम इस प्रकार खपाये जाने वालों के रजिस्टर में अभी तक मौजूद हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) ९८ ।

(ख) पुनः संस्थापन तथा नियोजन महासंचालक इस के लिये जो विशेष रजिस्टर रखते हैं उसमें मार्च १९५४ तक १५८ भूतपूर्व सैनिक तथा असैनिक अफसरों के नाम थे ।

सरदार हुक्म सिंह : उनकी कठिनाइयों को कम करने तथा उन्होंने जो अनुभव अर्जित किया है उसका उपयोग करने के लिये क्या ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई रियासतें की जाती हैं अथवा नियम पालन में किसी प्रकार की शिथिलता की जाती है ?

श्री त्यागी : गृहकार्य मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को आदेश जारी किये हैं कि उन स्थानों की पूर्ति करने में जिनके लिये सैनिक शिक्षा एक विशेष अर्हता हो भूतपूर्व फौजियों को अधिमान दिया जाये तथा अधिकतम आयु सीमा उतने समय के लिये शिथिल कर दी जाये जितने समय कि उन्होंने सैनिक सेवा की हो, साथ ही यदि आवश्यकता हो तो तीन वर्ष की और छूट दी जा सकती है ।

सरदार हुक्म सिंह : ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन को रक्षा-विभाग ने अन्य स्थानों में, अर्थात् अन्य विभागों में, नौकरी प्राप्त करने में सहायता की ?

श्री त्यागी : मुझे खेद है कि इस के आंकड़े मेरे पास तय्यार नहीं हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खपाने की इस योजना के अंतर्गत ९८ निकाले गये व्यक्ति रक्षा मंत्रालय की सेवाओं में खपाये जा चुके हैं, क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि जो अफ़सर युद्धसामग्री कारखानों में लग भग १२ वर्ष तक कार्य कर चुके हैं उन की छंटनी न की जावे ?

श्री त्यागी : मैं यह बात सदन में कई बार दुहरा चुका हूं । जहां कहीं कोई अतिरेक अफसर होते हैं, हमेशा इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि जहां कहीं उपलब्ध हो सके उन को किसी न किसी स्थान पर पुनः नियुक्त कर दिया जाये ।

केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन मंत्रणा बोर्ड

*२२९३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या शिक्षा मंत्री, २२ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२९० के उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन मंत्रणा बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई उपसमिति की शिफ़ारिशों की जांच की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उन में से किन किन को सरकार द्वारा स्वीकार तथा कार्यान्वित किया जा चुका है ; तथा

(ग) इस समिति पर किया गया वास्तविक ख़र्च ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख)। नहीं, रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है तथा उस पर केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन मंत्रणा बोर्ड द्वारा आगामी बैठक में विचार किया जायेगा।

(ग) अभी तक अन्तिम रूप से लेखा तय्यार नहीं हुआ है। अनुमान किया जाता है कि लगभग खर्चा ९०० रुपया होगा।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि एक दूसरे अवसर पर बाबू राम नारायण सिंह द्वारा पूछे गये एक अन्य प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि सिफ़ारिशें प्राप्त हो चुकी हैं तथा उन पर विचार किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : मुझे नहीं मालूम कि यह सच है। केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन मंत्रणा बोर्ड की २ तथा ३ फ़रवरी १९५३ को बैठक हुई जिस में कुछ लोगों की एक उपसमिति इस प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी अभी केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या केन्द्रीय सरकार से सहायता पाने वाली शारीरिक शिक्षा संस्थाओं में ब्वाए स्काउट तथा गर्ल गाइड्स की शिक्षा प्राप्त अध्यापक लिये जाते हैं।

डा० एम० एम० दास : यह तो बिलकुल और ही प्रश्न है। अभी इस के सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

बाबू रामनारायण सिंह : सरकार को रिपोर्ट पर विचार करने में कितना समय लगेगा ?

डा० एम० एम० दास : उपसमिति की रिपोर्ट अभी अभी सरकार को प्राप्त हुई है। यह रिपोर्ट रखी जायेंगी।

बाबू रामनारायण सिंह : सरकार को रिपोर्ट पर विचार करने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : कोशिश की जायेगी कि जल्द से जल्द हो। रिपोर्ट अभी मिली है।

श्री एम० डी० रामस्वामी : क्या उपसमिति की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जायेगी ?

डा० एम० एम० दास : हमें उपसमिति की रिपोर्ट मिल गई है। उसे केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन मंत्रणा बोर्ड के सामने रखा जायेगा। उस बोर्ड की सिफ़ारिशों पर सरकार विचार करेगी और तब योजना को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

बानिहाल सुरंग

*२२९४. **श्री संगण्णा** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अभी तक बानिहाल सुरंग सम्बन्धी कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यह कार्य विभागीय रूप से किया जा रहा है, अथवा अन्यथा; तथा

(ग) इस परियोजना के पूरे होने की कब तक आशा की जाती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) बानिहाल सुरंग परियोजना का प्रारंभिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है। सुरंग को उत्तर की ओर से आने वाली सड़क बनाई जा रही है और आशा है

कि वह शीघ्र ही पूरी हो जायेगी। सुरंग का प्रारंभिक रास्ता बनाने के लिये २४ मई, १९५४ तक टेंडर आमंत्रित किये गये हैं।

(ख) मुख्य कार्य ठेकेदारों के ज़रिये से होगा।

(ग) सुरंग के प्रारंभिक रास्ते के पूरा होने में काम आरंभ होने की तिथि से लगभग १८ महीने लगेंगे और उसके बाद लगभग दो वर्ष मुख्य सुरंग के पूरे होने में लगेंगे।

श्री संगण्णा : इस सुरंग के बन जाने से जम्मू और काश्मीर के बीच की विद्यमान दूरी में कितनी मील की कमी हो जायेगी ?

डा० काटजू : लगभग सोलह मील या शायद इससे भी अधिक की।

श्री एस० वी० रामस्वामी : सुरंग की लम्बाई कितनी है और वह समुद्र की सतह से कितने ऊपर होगी ?

डा० काटजू : सुरंग की लम्बाई १ १/२ मील होगी। जहां तक समुद्र तल से उसकी ऊंचाई का सम्बन्ध है, वह सात या आठ हज़ार फ़ुट हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यह अनुमान का प्रश्न नहीं है।

श्री संगण्णा : क्या यह काम भारत सरकार द्वारा किया जायेगा अथवा केन्द्र से प्राप्त सहायता से काश्मीर सरकार द्वारा ?

डा० काटजू : आरंभ में निर्माण की लागत काश्मीर सरकार को सहायता दे कर पूरी की जायेगी, और जब वह राष्ट्रीय राजपथ घोषित हो जायेगा, तब राष्ट्रीय राजपथ निधि में से। परन्तु मैं समझता हूं कि इन सब बातों की अभी चर्चा करना समय से बहुत पूर्व की बात है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इस सुरंग के निर्माण की गति को बढ़ाने के लिये कोई प्रयत्न किया जायेगा ताकि वह माननीय मंत्री द्वारा अनुमानित समय से पूर्व ही पूरी हो जाये ?

डा० काटजू : हम अपने भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु वस्तुतः इस चीज को इंजीनियर ही समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, टेंडर २४ मई, १९५४ तक आमंत्रित किये गये हैं। वह अंतिम तिथि है। उसके बाद हम लोग अपने भरसक कार्य करेंगे।

झंडा दिवस निधि

*२२९७. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) झंडा दिवस निधि के लिये १९५३ में कुल कितनी धन राशि एकत्रित की गई थी ; तथा

(ख) सेवारत कर्मचारियों को सुविधायें देने के लिये कितना धन व्यय किया गया था ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) अभी तक प्राप्त समाचार के अनुसार झंडा दिवस, १९५३ को ६,९१,६३४ रू० ४ आ० इकट्ठा किये गये हैं।

(ख) अभी तक उस निधि में से बंटवारा करने की स्वीकृति नहीं दी गई है। वह इस वर्ष बाद में किये जायेंगे।

सरदार हुक्म सिंह : सेवारत व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के बीच ये अंशदान किन सामान्य शीर्षों के अधीन वितरित किये जाते हैं ?

सरदार मजीठिया: ७० प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों को और ३० प्रतिशत सेवारत कर्मचारियों को दिया जाता है ।

सरदार हुक्म सिंह: भूतपूर्व सैनिकों की सुविधाओं के लिये जो वितरण किया जाता है, क्या वह किसी केन्द्रीय अभिकरण द्वारा किया जाता है या वह राशि राज्य सरकारों को वितरण के लिये दे दी जाती है ?

सरदार मजीठिया: यह कार्य जल, थल, नभ सैनिक बोर्ड द्वारा किया जाता है ।

सरदार ए० एस० सहगल: निधि का प्रबन्ध किस प्रकार और किसके द्वारा होता है ?

सरदार मजीठिया: एक प्रबन्ध समिति है जिसमें सभापति के रूप में रक्षा मंत्री उप सभापति के रूप में उपमंत्री, थल सेना नौसेना एवं वायु सेना के चीफ आफ स्टॉफ, वित्तीय सलाहकार, एडजूटेन्ट जनरल और भारतीय जल, थल और नभ सैनिक बोर्ड के सचिव सम्मिलित हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा: क्या भूतपूर्व सैनिकों को अनुदान और सैनिकों को सुविधायें राज्य संगठनों द्वारा दी जाती हैं ?

सरदार मजीठिया: मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । शायद माननीय सदस्य ध्यान से नहीं सुन रहे थे ।

श्री डी० सी० शर्मा: कठिनाई यह है कि माननीय मंत्री की आवाज़ सुनाई नहीं देती है ।

सरदार मजीठिया: यह काम जल, थल और नभ सैनिक बोर्ड द्वारा किया जाता है ।

डा० राम सुभग सिंह: विविध नामों से समय समय पर रक्षा कर्मचारियों की सुविधाओं और कल्याण के लिये निधियां इकट्ठी की जाती हैं। क्या ऐसी निधियों का कोई संचय है अथवा वे अलग अलग रखी जाती हैं ?

सरदार मजीठिया: यदि माननीय सदस्य उन निधियों की ओर निर्देश कर रहें हैं जो कुछ समय पूर्व कोरिया में हमारे सैनिकों के लिये जमा की गई थीं, तो वह दूसरी बात है। अन्यथा, जहां तक मुझे मालूम है, कोई और निधियां नहीं हैं । उस निधि का प्रबन्ध एक पृथक समिति करती थी और उस समिति ने वे निधियां अपने पास रखी हुई हैं ।

डा० रामसुभग सिंह: कोरिया गये हुए सैनिकों के लिये जो निधि जमा की गई थी, उसकी शेष राशि का क्या हुआ ? क्या उसे किसी संचय में रखा जायेगा या उसे वही समिति व्यय करेगी ?

सरदार मजीठिया: जैसा कि मैं कह चुका हूं, उनका प्रबन्ध एक पृथक् समिति करती है, जो उस समय बनाई गई थी । उस समिति के पास काफी निधियां हैं, और उनका किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से उपयोग किया जाये, इस पर अभी तक विचार हो रहा है क्योंकि वे एक विशिष्ट प्रयोजन के लिये जमा की गई थीं ।

विज्ञान कांग्रेस

* २२७६. **श्री राधा रमण**: क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेंषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हैदराबाद में अभी हाल में जो विज्ञान कांग्रेस हुई थी, उसमें कितने विदेशी प्रतिनिधि आये थे ; तथा

(ख) सरकार ने इस कांग्रेस पर कितना व्यय किया ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) २८।

(ख) ठीक ठीक व्यय का अभी पता नहीं है क्योंकि भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ ने अभी हिसाब तैयार नहीं किया है। अनुमान है कि वह लगभग ७०,००० रुपये है।

श्री राधा रमण : किन किन देशों को आमंत्रित किया गया था और कांग्रेस में किन किन देशों के प्रतिनिधि आये थे ?

श्री के० डी० मालवीय : लगभग २८ प्रमुख विदेशी वैज्ञानिकों ने कांग्रेस में भाग लिया था। आमंत्रित देश और वे देश जहां से ये २८ वैज्ञानिक कांग्रेस में भाग लेने आये थे, ये हैं रूस, पाकिस्तान, बर्मा, ब्रिटेन, इटली, अमरीका, नार्वे, जापान, फ्रांस, और यूनेस्को, खाद्य तथा कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी एक एक प्रतिनिधि आये थे।

श्री राधा रमण : क्या उस कांग्रेस में पारित हुए संकल्पों की कोई प्रति सरकार को प्राप्त हुई है और क्या उस संबंध में भारतीय सरकार से कुछ करने को कहा गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : प्रमुख वैज्ञानिकों को आपस में मिलने का अवसर देने और उनके द्वारा किये जाने वाले प्रतिवर्ष के कार्य पर विचार करने और उनके कार्यों की रचनात्मक आलोचना आमंत्रित करने के विचार से भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ ऐसे वार्षिक अधिवेशन करती रही है। उनके निर्णय या कार्यवाहियां संकल्पों का कोई रूप नहीं लेतीं।

श्री राधा रमण : क्या अन्य देशों से आमंत्रित प्रतिनिधियों को विभिन्न वैज्ञानिक गवेषणा केन्द्रों पर ले जाया गया था, और यदि हां, तो वे किन किन प्रमुख स्थानों पर गये थे ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, इस प्रकार का दौरा उनके कार्यक्रम में था और उन्हें हमारे महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रयोगशालाओं में ले जाया गया था।

रूपसी हवाई अड्डा

*२२७७. **श्री ब्रह्म चौधरी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रूपसी हवाई अड्डे (आसाम) के विकास के लिये १९५३-५४ में कितना धन दिया गया था ;

(ख) आज तक कितना धन व्यय हुआ है ; तथा

(ग) अभी तक क्या विकास कार्य किये गये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग)। भारतीय विमान बल ने सितम्बर १९४८ में रूपसी हवाई अड्डे को छोड़ दिया था ; वहां के धावन पथों को बनाये रखा गया है, यद्यपि उनकी देखभाल भारतीय बिमान बल द्वारा नहीं होती है अतः रक्षा मंत्रालय द्वारा इस हवाई अड्डे के विकास के लिये धन दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। आजकल कभी कभी असैनिक यातायात द्वारा उस हवाई अड्डे का उपयोग किया जाता है। एक विशेष मामले के रूप मई १९५३ में २००० रूपये मंजूर किये गये थे और वे वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में धावन पथों के कुछ कांकरीट ब्लाकों टैक्सी मार्गों और फैलाव जोड़ों की मरम्मतों पर व्यय किये गये थे।

इस हवाई अड्डे को असैनिक उड्डयन के महासंचालक को सौंपा जा रहा है और इस हस्तांतरण की विस्तृत बातों के सम्बन्ध में आजकल वार्ता चल रही है ।

श्री ब्रह्म चौधरी : मरम्मत और सुधार के काम कब तक पूरे हो जायेंगे ?

सरदार मजीठिया : २००० रुपये दिये गये थे और उक्त कार्य १९५३-५४ में किया गया था ।

विदेश छात्रवृतियां

*२२८१. **श्री भीखाभाई :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में विदेशों में अध्ययन करने के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई थीं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का और एक अनुसूचित आदिम जाति का था ।

श्री भीखाभाई : इन छात्रवृत्तियों के लिये विद्यार्थी किस प्रकार चुने जाते हैं ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़ी हुई श्रेणियों को देशी छात्रवृत्तियां देने का सम्बन्ध है, वे एक छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा दी जाती है, जिस में इस सदन के सात व्यक्ति सम्मिलित हैं । जहां तक विदेश छात्रवृत्तियों का प्रश्न है, जो भूतकाल में दी गई थीं, इस समय मेरे पास ठीक जानकारी नहीं है ।

श्री भीखाभाई : क्या छात्रवृत्तियां देने से पहले विद्यार्थियों से मुलाकात की जाती है ?

डा० एम० एम० दास : विदेश छात्रवृत्तियों के लिये चुनने से पहले विद्यार्थियों से मुलाकात की जाती है, किन्तु मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं ।

श्री बर्मन : क्या यह सच है कि छात्रवृत्ति बोर्ड, पिछड़ी श्रेणियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में से प्रत्येक के लिये दो छात्रवृत्तियां रक्षित रखता है, और जैसा कि माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि अनुसूचित जातियों का केवल एक व्यक्ति और अनुसूचित आदिम जातियों का एक व्यक्ति चुना गया है, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि संवरण बोर्ड के सामने कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, मैं समझता हूं कि अन्तिम संवरण लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है प्रत्येक श्रेणी के कितने व्यक्ति उपस्थित हुए थे और उन की क्या क्या योग्यतायें थीं ?

डा० एम० एम० दास : मूल प्रश्न १९५३-५४ से सम्बन्धित है, जब कि माननीय सदस्य द्वारा संकेतित नवीन प्रणाली लागू नहीं की गई थी । माननीय सदस्य विदेश छात्रवृत्तियों की नई योजना के विषय में बोल रहे हैं, जो कुल छः हैं और जो चालू वर्ष में दी जायेंगी । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संवरण पहले ही दिया जा चुका है और उस की सिपारिशें सरकार के पास विचारार्थ पड़ी हैं ।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि ये विद्यार्थी किन किन प्रान्तों से चुने गये और किन किन देशों में स्टडी के लिये भेजे जायेंगे और उनको कितने साल के लिये वज़ीफ़े दिये जायेंगे और कितना कितना दिया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : संघ लोक सेवा आयोग की सिपारिशें अभी मंत्रालय

में पहुंची हैं और वे मंत्रालय के विचाराधीन हैं। विस्तृत जानकारी मेरे पास नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय नौ सेना वेतन कार्यालय

*२२८३. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) "भारतीय नौ सेना वेतन कार्यालय" के क्या कृत्य हैं; तथा

(ख) प्रति वर्ष इस कार्यालय पर कुल कितना खर्च होता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) भारतीय नौ सेना वेतन कार्यालय, बम्बई, में केन्द्रीय रूप से, अखिल भारतीय नौ सेना के अधिकारियों, तथा समुद्रतल पर तथा किनारे पर काम करने वाले नाविकों के वेतन लेखों को रखता है।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिए** परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४३]

केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा योजना

*२२८८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय क्लर्क सेवा योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उसे कब चालू करना चाहती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां। योजना की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये** परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४४]

(ख) सरकार ने योजना १२ अप्रैल, १९५४ को स्वीकार करली थी और योजना की कार्यान्विति पहले ही शुरू हो चुकी है।

आय-कर (त्रावनकोर-कोचीन)

*२२९५. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आय कर विभाग ने उन मामलों को फिर से चालू किया है, जो वित्तीय एकीकरण होने से पहले त्रावनकोर-कोचीन राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दिये गये थे; तथा

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामले कितने हैं और कितनी अंतिरिक्त धन-राशि निर्धारित की गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख)। जानकारी मंगाई गई है और प्राप्त हो जाने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय

*२२९६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री १८ फरवरी, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२२ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने के निमित्त एक भवन निर्माण करने की योजना तैयार करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; तथा

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफ़ारिशें क्या हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) :

(क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

सेना के भूतपूर्व मोटर चालक

४८६. **सरदार हुक्म सिंह :** क्वा **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३–५४ में राज्य परिवहन सेवाओं में सेना के किसी भूतपूर्व मोटर चालक या कारीगर को नौकरी मिली है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कितनों को ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, २०५ को ।

तम्बाकू पर प्रशुल्क की छूट

४८७. **श्री संगण्णा :** क्या **वित्त** मंत्री २९ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३६६ पर उठाये गये अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य में, ज़िलावार, किन किन थानों के क्षेत्राधिकार में तम्बाकू के खेतों पर प्रशुल्क में छूट दी गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४५]

बृहस्पतिवार,
६ मई, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13-3-92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

(अंक ५--५ मई से २१ मई, १९५४)

बुधवार, ५ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
आय नियम, १९५४	४६४९
विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाला विवरण	४६४९—४६५२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--- आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन	४६५२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना---चनपतिया तथा बेतिया के बीच रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	४६५२—४६५५
सदस्य की दोष सिद्धि	४६५५—४६५६
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव---असमाप्त	४६५६—४७१०

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
वित्त विधेयक पर हुये विवाद के दौरान में सदस्यों द्वारा पूछे गये कई प्रश्नों के सम्बन्ध में टिप्पणियां	४७११—४७१६
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	४७१६—४७१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना--- कोलम्बो में हुए एशियाई प्रधान मंत्री सम्मेलन में मोरक्को, ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन और इसराईल के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के विषय में समाचार पत्रों की रिपोर्ट	४७१७—४७१९
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने तथा जनमत के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता को संशोधित करने वाला श्री एस० वी० रामस्वामी द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव--- असमाप्त	४७१९—४७७६

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

संसद सदस्य श्री बी० एल० तुडू का देहावसान	

राज्य परिषद् से सन्देश ४७७७

बाल विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ४७७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना--इस्पात के नये कारखाने की स्थापना का स्थान ४७७८--४७८०

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न पर पाकिस्तान से हुई बातचीत के सम्बन्ध में विवरण ४७८०--४७८१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करने का प्रस्ताव--असमाप्त ४७८१--४८१०

शनिवार, ८ मई, १९५४

आश्वासन समिति--

प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन ४८११

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--याचनाओं का उपस्थापन ४८११--४८१२

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

चन्द्रनगर जांच आयोग की सिफारिशों के बारे में भारत सरकार के निर्णय ४८१२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक--पुरःस्थापित ४८१२--४८१३

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपा गया ४८१३--४८४४

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८४४--४८७५

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसातकरण विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८७५--४८७७

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपने और परिचालित करने के प्रस्ताव--असमाप्त ४८७७--४९०६

सोमवार, १० मई, १९५४

लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--सिंगरैनी कोयला खान, कोथागुडियम, हैदराबाद में दुर्घटना ४९०७--४९१०

समितियों के लिये चुनाव--

प्राक्कलन समिति ४९१०

लोक लेखा समिति ४९१०--४९११

लोक लेखा समिति में राज्यपरिषद् के सदस्यों का रखा जाना ४९११--४९१२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ४९१२

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४९१२—४९२५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राजयपरिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये के प्रस्ताव—असमाप्त ४९२५—४९४८

शान्ति के कामों के लिये अणुशक्ति का प्रयोग ४९४८—४९८२

मंगलवार, ११ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड का १९५३-५४ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५४-५५ का आय व्ययक प्राक्कलन, और १९५४—५५ के आय व्ययक प्राक्कलनों के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी ४९८३

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४९८३—४९८४

सदन का कार्य—

भाषणों के लिये समय सीमा ४९८४—४९८५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ४९८५—५०४४

बुधवार, १२ मई, १९५४

विशेषाधिकार प्रश्न ५०४५—५०५०

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

प्रशिक्षण तथा नियोजन सेवा संगठन समिति की रिपोर्ट ५०५०

राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणन जांच समिति की रिपोर्ट ५०५०

अनुदान की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में विवरण ५०५०—५०५१

प्राक्कलन समिति—सातवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—नवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—याचिकायें प्राप्त ५०५१—५०५२

रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर पर पुनर्विलोकन करने के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत ५०५२—५०५३

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ५०५३—५१०८

राज्य परिषद से सन्देश ५१०८

विशेष विवाह विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५११८

बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ५११९—५१११

न्यनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

पुस्तक प्रदाम (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

सुदूर पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में भारत सरकार द्वारा अपने अधिकारों तथा न्याय क्षेत्र के बारे में प्रेस विज्ञप्ति ५१११—५११२

अचल सम्पति अधिग्रह तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत अधिसूचना ५११७

भाग 'ग' राज्यों की सरकारें (संशोधन) विधेयक--याचिकायें उपस्थापित ५११७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--जापानी युद्ध अपराधियों के विषय में क्षमा-दान प्रबन्ध में पाकिस्तान का अविश्राम भारत के वैध उत्तराधिकारी के रूप में सम्मिलित किया जाना ५११२--५११७

विशेषाधिकार का प्रश्न ५११७—५१२३

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन—चर्चा असमाप्त ५१२३—५१७६

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--वापस लिया गया ५१७६—५१७७

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ५१७७

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव--स्वीकृत ५१७७--५१९५

शुक्रवार, १४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

१९५४-५५ के लिए अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त हुये कुछ ज्ञापनों के उत्तर देने वाले विवरण ५१९९

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका उपस्थापित ५१९९—५२००

४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ५२००

हाउस आफ पीपुल और पार्लियामेंट सेक्रेटेरियट का हिन्दी और अंग्रेजी में नामकरण ५२०१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक--पुरःस्थापित ५२०१—५२०२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक—संशोधित रूप में पारित ५२०२--५२५३

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में चर्चा ५२५३—५२६८

शनिवार, १५ मई, १९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में संकल्प—चर्चा असमाप्त ५२६९--५३५४

मंगलवार, १८ मई, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५३५५

राज्य परिषद् से संदेश ५३५५—५३५७

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५३५७—५३५८

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन ५३५८

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५८—५३५९

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५९

सहायक प्रादेशिक सेना विधेयक—पुरःस्थापित ५३५९—५३६०

अन्तर्राष्ट्रीय-स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत ५३६०—५४०९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४०९—५४१०

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४१०

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४११—५४१३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत ५४१३—५४५१

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५४५२—५४५४

बुधवार, १९ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५२—भाग १ ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग २—विस्तृत विनियोग लेखे ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के अवरुद्ध लेखे (जिसमें वे पूंजी-विवरण भी सम्मिलित है, जिनमें ऋण लेखे भी दिये हुये हैं), आयव्यय विवरण पत्र तथा हानि लाभ लेखे ५४५६

१९५१–५२ के रेलवे की कोयला खदानों के आयव्ययक विवरण पत्र तथा कोयले आदि की कुल लागत के विवरण ५४५६
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवेज़, १९५३ ५४५६
सामदायिक परियोजनाओं सम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन ५४५७
चलचित्र जांच समिति की सिपारिशें ५४५७
अनुदानों की मांगों (रेलवे) सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर ५४५७
विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों सम्बन्धी याचिकाएं ५४५७—५४५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—उड़ीसा में चावल का अतिरिक्त स्टाक ५४५८—५४६०
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ५४६०—५५०१
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त ५५०१—५५४६

बृहस्पतिवार, २० मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के एक अनुपूरक प्रश्न के दिये गये उत्तर को ठीक करने वाला वक्तव्य ५५४७—५५४८
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित ५५४८
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—परिषद् द्वारा पारित रूप में—असमाप्त ५५४८—५६१९
राज्य परिषद् से सन्देश ५६१९—५६२०

शुक्रवार, २१ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण ५६२१—५६२२
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत अधिसूचनायें ५६२३
दामोदर घाटी निगम के विषय में राव समिति का प्रतिवेदन ५७१३
राव समिति के प्रतिवेदन पर सरकार के विनिश्चय ५७१४
प्राक्कलन समिति के पंचम प्रतिवेदन की सिपारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण ५७१४

प्राक्कलन समिति—आठवें तथा नवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन ५६२३
याचिका समिति—तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन ५६२३
अनुपस्थिति की अनुमति ५६२४
केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के लिये ट्रेक्टर खरीदने सम्बन्धी वक्तव्य ५६२४—५६३३
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ५६३३—५६४५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४५—५६४६
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४६
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ—असमाप्त ५६४७—५७१२
राज्य परिषद् से सन्देश ५७१२

GIPD—HSD—918 LS—10-12-54—285

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९ म० प०

सदन-पटल पर रखे गये पत्र

वित्त विधेयक पर हुए विवाद के दौरान में सदस्यों द्वारा पूछे गये कई प्रश्नों के सम्बन्ध में टिप्पणियां

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): मैं डा० लंका सुन्दरम् और श्री खण्डूभाई देसाई द्वारा पूछे गये कई प्रश्नों के सम्बन्ध में उन तीन टिप्पणियों की, जो उन्होंने वित्त विधेयक पर हुए विवाद के उत्तर में दिये गये वचन के अनुसार २१ अप्रैल, १९५४ को दी हैं, एक-एक प्रति सदन पटल पर रख देता हूं।

टिप्पणियां

२१ अप्रैल, १९५४ को लोक-सभा में वित्त विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान में श्री खण्डूभाई देसाई ने छूट सहित संग्राहक अधिमान अंशों को बोनस अंश बताया। इस सम्बन्ध में जो स्थिति है, वह इस प्रकार है :

१९५३ में इस तरह के अंश तीन मामलों में जारी किये गये थे, किन्तु इधर कुछ समय से इस प्रकार के अंशों को जारी करने की आज्ञा नहीं दी गई है। इस समय की नीति के अनुसार भी किसी भी प्रकार के शेयरों को बोनस शेयरों के रूप में नहीं जारी किया जा सकता।

बोनस अंशों के जारी किये जाने का यह अभिप्राय नहीं है कि कम्पनी द्वारा परिसम्पत् को खुला छोड़ा जाय, अतः भारतीय आयकर अधिनियम की धारा २(६क) के अन्तर्गत यह "लाभांश" की परिभाषा में नहीं आता। किन्तु डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक के वितरण में भिन्न स्थिति है।

परिसम्पत के खुला छोड़ देने से जब बोनस शेयरों पर छूट होती है, तो उस समय यह हो सकता है कि पहले के अंशधारी न रहें, क्योंकि अंश एक से दूसरे के पास चले जाते हैं। यदि पहला अंशधारी अंशों का सौदा करता हो तो वह विक्रय से लाभ उठायेगा, और यदि वह केवल अंशक्रेता हो तो उसे कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा।

यह संभव है कि वास्तविक विक्रय के बिना, शुरू का अंशधारी अपने शेयरों को हस्तान्तरित करे। इस प्रकार जब तक आयकर विभाग इस हस्तान्तरण को नहीं झुठलाता तब तक अधिकार नहीं दिया जा सकेगा।

[श्री एम० सी० शाह]

बोनस अंशों के वास्तविक हस्तान्तरण में भी इस आयकर का घाटा हो सकता है, जब बाद का अंश-क्रेता कोई भी कर न दे अथवा कम कर दे। कर-देयता की टालमटोल अथवा बोनस शेयरों के जारी करने के प्रश्न पर अब करारोपण जांच आयोग विचार कर रहा है ।

प्रसंग : २० अप्रैल, १९५४ को लोक-सभा में डा० लंका सुन्दरम द्वारा उठाये गये प्रश्न

डा० लंका सुन्दरम् ने योजना आयोग की विगत वर्ष की प्रगति रिपोर्ट में दिये गये संभाव्य साधनों की तुलना उन तीन विवरणों के साथ की थी जो हाल में संसद्-सदस्यों में परिचालित किये गये । उन्हों ने इसी बात पर आपत्ति की थी कि ये दोनों प्राक्कलन क्यों भिन्न हैं ।

विशद रूप से इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, किन्तु १९५३–५४ के पुनरीक्षित प्राक्कलनों में और बातें भी आई हैं जिन के परिणामस्वरूप इस प्रकार अन्तर पड़ गया है।

केन्द्र तथा राज्यों को ऋण के रूप में धन की प्राप्ति : योजना में ऋण लेने का लक्ष्य इस प्रकार था :

	(करोड़ों में)
केन्द्र	३६
राज्य	७९
कुल योग	११५

पहले दो वर्षों में केन्द्र को ३५ करोड़ रुपये व्यय करने पड़े, जब कि राज्यों ने २९ करोड़ रुपये का ऋण इकट्ठा किया। १९५३-५४ में केन्द्र ने ऋणों के रूप में ७५ करोड़ रुपये प्राप्त किये जब कि उसे ११४ करोड़ रुपये देने पड़े, चुनांचि इस रकम में से नक़द बचत नियोजन लेखा में ४० करोड़ रुपये अटक गये । राज्यों ने १९५३–५४ में ३९ करोड़ रुपये का ऋण लिया जब कि बजट प्राक्कलन १४ करोड़ रुपये का था। १९५४-५५ और १९५५–५६ में भी १९५३–५४ की ही हालत होगी । इन सब को जोड़ कर हमें, इन पांच वर्षों में राज्यों द्वारा १३१ करोड़ रुपये का ऋण और केन्द्र द्वारा २२ करोड़ रुपये का ऋण—यानी कुल १५३ करोड़ रुपये का ऋण मिल सकेगा ।

ये प्राक्कलन काल्पनिक नहीं हैं, और राज्यों को ही इस काम में आगे बढ़ने का मौका दिया गया है ।

पूंजी लेखा में निक्षेप निधि तथा अन्य विविध आय : इस शीर्ष में तदर्थ निधि, उन्नति लेखा शीर्ष, अग्रिम निक्षेप, आदि आते हैं । प्रथम तीन वर्षों में राज्यों को कृषकों के आवास, आदि पर काफ़ी रक़म व्यय करनी पड़ी है जब कि राज्यों के व्यापार से बहुत कम आय प्राप्त हुई है ।

विदेशी सहायता : डा० लंका सुन्दरम् ने इस बात की शिकायत की है कि विदेशी सहायता कम हो रही है। उन्होंने ५२१ करोड़ रुपये का जो आंकड़ा बताया है उस में विदेशी सहायता तथा/अथवा घाटे की अर्थव्यवस्था शामिल है ।

इस हिसाब में आज तक २३१ करोड़ रुपये अधिकृत रूप से हैं । किन्तु आशा की जाती है कि १९५४–५५ और १९५५–५६ में और भी कुछ सहायता प्राप्त होगी । १९५४–५५ के बजट में दिखाया गया ४५ करोड़ रुपये का आंकड़ा पहले से अधिकृत धन की उपलब्धियों के आधार पर बनाया गया है ।

प्राप्त विदेशी सहायता के प्राक्कलनों में अमरीकी गेहूं ऋण भी शामिल है ।

घरेलू बजट सम्बन्धी साधन : डा० लंका सुन्दरम् ने इस बात पर आश्चर्य प्रगट किया है कि विगत वर्ष की प्रगति रिपोर्टों की तुलना में घरेलू बजट सम्बन्धी साधनों का प्राक्कलन क्यों अधिक रखा गया है। किन्तु रिपोर्ट में जो भी बात आई थी, उस में साधनों के सम्बन्ध में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की गई थी। आप सब ने देखा होगा कि विवरण-पत्रों में घरेलू साधनों का प्राक्कलन १,१२३ करोड़ रुपये का है जो योजना में प्रारम्भ में दिये गये १,२५८ करोड़ रुपये के प्राक्कलन से कम है।

कदाचित् डा० लंका सुन्दरम् की यह धारणा है कि "चालू आयों से प्राप्त धन" और राजस्व लेखा पर का बजट-आधिक्य एक सी चीज़ है किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं। इस मद में राजस्व लेखा पर योजना-इतर व्यय रहित राजस्व लेखा की कुल आय शामिल है। वास्तव में यह बात है कि विकास-इतर साधारण व्ययों को घटा कर इस योजना के लिए राजस्व की प्राप्तियों से कितनी रक़म दी जा सकेगी।

२२ मार्च, १९५४ को लोक-सभा में डा० लंका सुन्दरम् द्वारा उठाये गये कई प्रश्नों के सम्बन्ध में टिप्पणियां

१९५०–५१ से १९५३–५४ तक के नये ऋणों के सम्बन्ध में पुनरीक्षित प्राक्कलनों और बनाये गये आय-व्ययकों के बीच जो भारी अन्तर रहा है, उस के सम्बन्ध में डा० लंका सुन्दरम् ने २२ मार्च, १९५४ को अपने भाषण में आपत्तियां कीं। इस में आश्चर्य की कोई भी बात नहीं। ऐसे अवसरों पर शेयर बाजारों की अवस्था और राज्य सरकारों द्वारा उठाये जाने वाले ऋणों को ध्यान में रखना पड़ता है। यह भी ध्यान में रखने की चीज़ है कि बजट प्राक्कलन जनवरी-फरवरी में बनाये जाते हैं जब कि कुछ महीने बाद ऋण लिया जाता है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से हम ने वास्तव में पुर्ननिर्माण एवं विकास निमित जो धन लिया है वह प्राक्कलनों से थोड़ा-सा भिन्न है। इसी प्रकार गेहूं के ऋण के सम्बन्ध में भी कोई बजट प्राक्कलन नहीं बनाया जा सकता था। बजट और पुनरीक्षित प्राक्कलनों के बीच इतना अंतर होना अनिवार्य है, और इस का व्याख्यात्मक ज्ञापन हर वर्ष बाद दिया जाता है।

डा० लंका सुन्दरम् न इस ओर भी निर्देश किया है कि आंकड़ों में असंगतियां हैं। यह स्वाभाविक सी बात है कि अस्थायी संसद् के बाद इस सदन के बनने तक की अवधि में कई परिवर्तन हुए जिन के परिणामस्वरूप इतना अन्तर पड़ा। चुनांचि १३ करोड़ रुपये का अन्तर इसलिये पड़ा कि १९५१–५२ में ऋण पर पहुंचने वाला गेहूं १९५२–५३ में भारत पहुंचा।

१९५२-५३ के बजट में औद्योगिक विकास के अन्तर्गत आंकड़े में भी उन्हों ने कोई अन्तर जताया है। इस का यही कारण है कि १९५२-५३ के अन्तिम बजट में मशीनों का निर्माण करने वाले निगम के अंशों में धन नियोजन के लिये २५ लाख पये का उपबन्ध रखा गया था।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : श्रीमान्, क्या इन टिप्पणियों की प्रतियां माननीय सदस्यों को दी जायेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी भी सदस्य को इस की प्रति लेने की आवश्यकता पड़े तो उसे दी जायेगी, किन्तु साधारणतः उन्हें दिया नहीं जाता।

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : १० मार्च, १९५४ को श्री कृष्णाचार्य जोशी

[श्री एम० सी० गुहा]

द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८६७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में, हैदराबाद राज्य में प्रचलित हाली सिक्के के सम्बन्ध में जो सूचना दी गई थी, उस में शुद्धि की जाय ।]

पत्र मुद्रा (एक रुपये वाले नोटों सहित)	१२·७९ करोड़
सिक्के (एक रुपये वाले सिक्कों सहित)	४·५५ करोड़
कुल योग	१७·३४ करोड़

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना

कोलम्बो में हुए एशियाई प्रधान मंत्री सम्मेलन में मोरावको, ट्यूनेशिया, फिलिस्तीन और इसरायल के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के विषय में समाचार-पत्रों की रिपोर्टें

अध्यक्ष महोदय : सरदार ए० एस० सहगल प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

सरदार ए० सी० सहगल (बिलासपुर) : श्रीमान् मैं नियम २१५ के अधीन इस अत्यावश्यक लोक-महत्व के मामले की ओर माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और उन से प्रार्थना करता हूं कि वे इस के सम्बन्ध में एक बयान दें :—

(१) कराची से प्रकाशित होने वाले डॉन में छपी और पाकिस्तान रेडियो से प्रसारित एक रिपोर्ट कि कोलम्बो के सम्मेलन में प्रधान मंत्रियों ने पाकिस्तान के कहने पर मोराक्को, ट्यूनेशिया और फिलिस्तीन के सम्बन्ध में प्रस्थापनाओं को स्वीकार कर लिया यद्यपि भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने उन का विरोध किया ।

(२) अमरीकी समाचार एजेन्सी की एक रिपोर्ट में भारत के प्रधान मंत्री पर यह आरोप लगाया गया था कि उक्त सम्मेलन में जब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने काश्मीर सम्बन्धी प्रश्न उठाया तो उस (भारत के प्रधान मंत्री) ने उसे यह धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा ।

(३) इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के प्रधान मंत्री ने इसराइल के आक्रमण को उचित समझा, और उन की इस राय को मध्य पूर्व के कई देशों में परिचालित भी किया गया ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जिन रिपोर्टों की ओर निर्देश किया गया है वे निराधार हैं । मुझे दुःख है कि इस प्रकार की असाधारण रिपोर्टों का इतना प्रचार किया जाता है । एक बार कोई झूठी बात फैल जाय, तो उसे रोकना बहुत कठिन बन जाता है । सभी जानते हैं कि उक्त सम्मेलन की कार्यवाही गोपनीय थी, अतः इस सम्बन्ध में प्रसार नहीं किया जा सकता था । कभी-कभी ऐसा होता है कि कई समाचारपत्र इस बात का अनुमान लगाते हैं कि क्या हुआ, या कहीं से कोई सूचना प्राप्त करते हैं और उसी की एक कहानी बनाते हैं । कुछ भी हो, मैं न तो सदन में और न कहीं बाहर लोगों में इस बात की चर्चा करना उचित समझता हूं कि वहां वास्तव में क्या हुआ, किस ने क्या कहा और किस ने क्या नहीं कहा । स्वाभाविक है कि वहां सभी स्पष्ट शब्दों में बोले, और प्रत्येक विषय को बहुत से पहलुओं से देखा गया । किन्तु, देखने की चीज़ है कि अन्ततः कई बातों पर समझौता हुआ और पांचों उपस्थित प्रधान मंत्रियों ने एकमत होकर जो

बात कही, वह एक वक्तव्य में जारी की गई; मुझे आशा है सदन ने यह वक्तव्य देखा होगा। यही एक महत्वपूर्ण बात है : इस से पहले की चर्चा का कोई महत्व नहीं। मैं न तो यह कह सकता हूं, और न इस बात पर चर्चा कर सकता हूं कि भारत ने इस में कितना भाग लिया अथवा किस देश ने अधिक भाग लिया। मैं यही कहूंगा कि सभी देशों ने उस चर्चा में पूरा पूरा भाग लिया और सभी देशों ने ठीक समय पर इस बात का बीड़ा उठाया है कि यह काम पूरा हो। इस प्रकार के सम्मेलन में शत्रुता या ईर्ष्या का, अथवा एक दूसरे को पछाड़ने-गिराने का कोई भी प्रश्न पैदा नहीं होता। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह अनधिकृत प्रेस रिपोर्टें न पढ़ कर स्वयं सम्मेलन द्वारा जारी किये गये वक्तव्य को पढ़ें।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक---जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सदन इस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपा जाय, और श्री एस० वी० रामस्वामी के नाम में जो प्रस्ताव है और अनेक संशोधन हैं उन पर भी विचार करे।

मेरे पास बोलने वालों की बहुत सी परचियां आई हैं, लेकिन जब तक वे संक्षिप्त में भाषण न दें ताकि औरों को भी बोलने का अवसर मिले, तब तक मैं उन सभी को बोलने की आज्ञा नहीं दे सकता। उन्हें अपने सुझावों या तर्कों की महत्वपूर्ण बातें ही बतानी चाहियें। हमारे पास केवल ७ घंटे हैं और इस अवधि में माननीय गृह मंत्री को भी उत्तर देना होगा। मैं आशा करता हूं कि वे अधिक समय नहीं लेंगे। माननीय सदस्य अधिक से अधिक २० मिनट तक बोल सकते हैं। श्री एन० एस० जैन।

श्री एन० एस० जैन (ज़िला बिजनौर--दक्षिण) : मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि ६०० खण्डों से सम्बन्धित विधेयक पर बोलने के लिये केवल २० मिनट का समय कम रहेगा। यदि मुझे और अधिक समय लगे, तो मैं क्षमा चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहने का यह तात्पर्य था कि इस चर्चा में हर एक बात को बारीकी से देखने की आवश्यकता नहीं। विचारार्थ प्रस्ताव पर अधिक समय नहीं लगाया जाना चाहिये। माननीय सदस्य केवल महत्वपूर्ण पहलुओं को लें, उपबन्धों पर चर्चा न करें।

श्री आर० डी० मिश्र (ज़िला बुलन्दशहर) : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में। मेरा कहना यह है कि ज़ाब्ता फौज़दारी कानून में क़रीब पांच छै सौ दफ़ायें हैं और उन दफ़ाओं में तबदीली करने के लिये यह बिल लाया गया है। हमें हाउस के सामने यह दिखलाना है कि कुल क़ानून के अन्दर बहुत बड़ी गलतियां हैं और कुल क़ानून को दुबारा सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय ताकि हर दफ़ा पर गौर किया जा सके और जब तक हाउस यह नहीं समझेगा कि किस किस दफ़ा के अन्दर क्या क्या ग़लती है और वह ग़लती दूर की जानी चाहिये, तब तक यह हाउस कैसे इजाज़त देगा कि कुल बिल सेलेक्ट कमेटी को जाय। ज़ाब्ता फ़ौज़दारी क़ानून जिस में ६००, ७०० दफ़ायें हैं और जिस पर कुल मुल्क की ज़िन्दगी का दारोमदार है, जिस पर तमाम अदालतों और थानों का दारोमदार है और जिस पर लॉ एन्ड आर्डर का दारोमदार है, मैं नहीं समझता कि हम लोग कैसे पूरी तौर से पन्द्रह मिनट या पांच मिनट में हाउस को समझा सकेंगे कि यह बिल पूरा का पूरा सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं। माननीय सदस्यों को

[अध्यक्ष महोदय]

स्मरण होगा कि प्रवर समिति इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करेगी ।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं ने बताया . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बीच में न बोलें । इस समय प्रवर समिति की भलाई के लिए केवल चेतावनी दी जाय, विस्तारपूर्वक बातें नहीं बताई जायं । हो सकता है कि संविधि के ६०० खण्ड हों, लेकिन प्रत्येक खण्ड महत्वपूर्ण नहीं होता । मैं चाहता हूं कि प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर मिले, अतः संक्षिप्त शब्दों में संगत बातों का ही बताना आवश्यक है । श्री एन० एस० जैन भाषण जारी रखें ।

श्री एन० एस० जैन (ज़िला बिजनौर—दक्षिण) : कल मैं कह रहा था कि तीन तरह के मामले होते हैं—सत्र मामले, सम्मन मामले और वारंट मामले । इन तीनों के लिये अलग अलग प्रक्रिया होती है । इस विधेयक द्वारा इन प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने का विचार है । लेकिन इस के पहले मैं आप का ध्यान संविधान के अनुच्छेद २०, २१ और २२ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । हम इस कानून को जिस तरह चाहें बदल नहीं सकते क्योंकि ऐसा करने में संविधान हमारे सामने आ जाता है । संविधान के अनुच्छेद २० (३) में उल्लिखित है कि किसी अपराध में अभियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिये बाध्य न किया जायेगा । इस का अर्थ यह हुआ कि अभियुक्त से शपथ ग्रहण नहीं करवाई जा सकती है । उस से यह नहीं कहा जा सकता है कि वह मामले का हाल बताये । फौजदारी और दीवानी मामलों के सिद्धान्त ही अलग अलग होते हैं । दीवानी मामलों में तो दोनों ही ओर से साक्ष्य बराबर होता है लेकिन फौजदारी मामलों में यह पूर्वधारणा रहती है कि अभियुक्त निर्दोष है ।

संविधान के २१वें अनुच्छेद में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ कर अन्य प्रकार वंचित न किया जायेगा । हम आज इसी प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं ।

तीसरी बात संविधान के अनुच्छेद २२(१) में दी हुई है कि कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण के कारणों से यथाशक्य शीघ्र अवगत कराये गये बिना हवालात में निरुद्ध नहीं किया जायेगा और न अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित रखा जायेगा । इस का अर्थ यह हुआ कि अभियुक्त को अपनी रुचि का वकील मिलना चाहिये । इन बातों के साथ मैं एक बात का और उल्लेख कर देना चाहता हूं । अभियुक्त को शंका का लाभ दिया जाता है । इस का अर्थ यह हुआ कि अभियोक्ता जो साक्ष्य न्यायालय के सामने रखे उसे बहुत सोच विचार कर रखा जाना चाहिये । यद्यपि मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं, फिर भी, यह तो मानना ही पड़ेगा कि हम इन के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं ।

अब मैं सम्मन मामले पर आता हूं । इस में अभियुक्त को मौका दिया जाता है कि वह न्यायालय के सामने यह बताये कि उस ने अपराध किया है या नहीं । लेकिन गम्भीर मामलों में अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती । धारा २५२ के अन्तर्गत उसे अधिकार प्राप्त है कि वह चुप रह सकता है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस मामले में प्रारम्भिक अवस्था में जिरह आदि की अधिक आवश्यकता नहीं होती । पहली पेशी में तो गवाहों से जिरह भी नहीं की जाती है यद्यपि धारा २५६ में इस की व्यवस्था है । बात तो यह है कि पहली पेशी

में मुकदमा आरम्भ नहीं होता । मुकदमे की कार्यवाही आरोप लगाने के बाद आरम्भ होती है । अतः मैं चाहता हूं कि धारा २५६ के सम्बन्ध में किया गया प्रावधान धारा २५२ के सम्बन्ध में भी कर दिया जाये, अर्थात् केवल उतनी ही जिरह करने दी जायेगी जितनी कि न्यायालय उचित समझेगा ।

जहां तक धारा २५७ का सम्बन्ध है मैं चाहता हूं कि जो शब्द इस में जोड़े जा रहे हैं वे न जोड़े जायें क्योंकि यदि इन शब्दों को जोड़ दिया जया तो इस का यह अर्थ होगा कि अभियुक्त—यदि मजिस्ट्रेट उन्हें बुलाना भी चाहता हो—उन गवाहों को न बुला सकेगा जिन्होंने अभियोक्ता की ओर से गवाही दी होगी ।

अब मैं सत्र मामलों को लेता हूं । इस बारे में पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता में वही प्रक्रिया दी हुई है जो वारंट मामलों के सम्बन्ध में लागू होती है । यद्यपि इन दोनों प्रकार के मामलों की प्रक्रियाओं में अधिक अन्तर नहीं है, फिर भी, इस में अधिक समय लग जाता है । अतः मेरा निवेदन है कि सत्र मामले को रखिये ही नहीं । अभियुक्त को सीधे सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया जा सकता है । वहां वही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है जो किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अपनाई जाती है । यदि विधेयक के वर्तमान उपबन्ध को रहने दिया जाता है तो अभियुक्त का यह अधिकार समाप्त हो जायेगा कि वह स्वयं कुछ कहे बिना मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अपने विरुद्ध दी जाने वाली गवाही सुन सकता है और गवाहों से जिरह कर सकता है । सत्र न्यायालय में भी वह गवाहों से जिरह कर सकता है । लेकिन वर्तमान उपबन्ध से आप उस का यह अधिकार छीनना चाहते हैं । मेरा निवेदन है कि आप समर्पण कार्यवाही को बिल्कुल खत्म कर दें । सत्र न्यायालय में अभियुक्त को दो बार जिरह करने का अधिकार वैसा का वैसा ही रहने दिया जाये । प्रथम पेशी में सीमित जिरह रखिये और दूसरी पेशी में अभियुक्त धारा २५६ के अनुसार ही जिरह कर सकता है । इस प्रकार अनेक कठिनाइयां दूर हो जायेंगी । विलम्ब भी न हुआ करेगा ।

यह बात तो अब करीब करीब मान ही ली गई है कि गवाहों के बयान धारा १६४ के अन्तर्गत अभिलिखित न किये जायें । इस विधेयक के साथ जो कागजात मिले हैं उन में विशेष पुलिस स्थापना के महानिरीक्षक ने भी अपनी राय व्यक्त कर दी है ।

मैं झूठी गवाही देने के अपराध के सम्बन्ध में सरसरी कार्यवाही किये जाने के विरुद्ध हूं । मेरे विचार में इस प्रकार की कार्यवाही से कोई लाभ नहीं हो सकता है । मुकदमों में न्याय होना कठिन हो जायेगा क्योंकि कोई भी न्यायालय में गवाही देने के लिये आना पसन्द नहीं करेगा । इस प्रकार न्यायालयों में विश्वास उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है ।

मैं मानहानि के मामलों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं । जो परिवर्तन किया जा रहा है मैं उस का स्वागत करता हूं । मेरे विचार में यह कदम ठीक दिशा की ओर बढ़ाया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि इसे केवल इन शब्दों तक ही सीमित न रखा जाये, "या अन्य कोई सरकारी कर्मचारी अपने सरकारी कार्य के पालन करने में" । इस में यह बातें भी शामिल कर ली जायें । यदि कोई किसी मंत्री या सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध यह कहे कि वह दुराचारी है, भ्रष्ट है या पतित है और इस से वह जनता की आंखों में गिर जाता है तो इन के विरुद्ध भी कार्यवाही किये जाने का उपबन्ध होना चाहिये । सरकारी कर्मचारियों की हर प्रकार से रक्षा होनी चाहिये । सरकार उस व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना चाहती है जो बिना किसी आधार के सरकारी कर्मचारियों को

[श्री एन० एस० जैन]

बदनाम करना चाहते हैं। जिस कर्मचारी को बदनाम किया गया है, उसे साक्ष्य कटघरे में तो आना ही होगा और इस प्रकार सारी बातें स्पष्ट हो जायेंगी। यदि वह कर्मचारी, वास्तव में, दुराचारी या भ्रष्ट है तो जनसेवी व्यक्ति उस के विरुद्ध न्यायालय में साक्ष्य दे सकते हैं।

मामले हस्तान्तरण करने का अधिकार सत्र न्यायालयों के न्यायाधीशों को देना तो ठीक है लेकिन ज़िला मजिस्ट्रेटों के हाथों में यह अधिकार दे रखना ठीक नहीं है इसे वापस ले लिया जाना चाहिये। इस उद्देश्य को ले कर धारा ५२८ में संशोधन किया जाना चाहिये। ज़िला मजिस्ट्रेट को धारा ४०६ क के अन्तर्गत अपील सुनने का अधिकार है। जब अन्य अपील के अधिकार ले लिये गये हैं तो इस अधिकार को भी ले लिया जाना चाहिये।

अन्त में, मैं एक बात सरकार द्वारा चलाये गये मुकदमों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के मुकदमों में साधारण व्यक्ति की क्या स्थिति है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार उसे मुकदमे का हस्तान्तरण कराने के सम्बन्ध में कुछ कहने तक का अधिकार नहीं है। मेरे विचार में जिस व्यक्ति को हानि पहुंची है उसें इस बात का अधिकार मिलना चाहिये कि वह अभियुक्त के छोड़े जाने के विरुद्ध अपील कर सके या मुकदमे के हस्तान्तरण के लिये कह सके। यह अधिकार केवल उच्च न्यायालय के स्तर पर दिया गया है। मेरे विचार में यह अधिकार सत्र न्यायालय के स्तर पर भी होना चाहिये, चाहे आप उस में कुछ संशोधन भले ही कर दें।

मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को पारित कराने में शीघ्रता से काम न लिया जाये। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इस पर ध्यान-पूर्वक विचार करे और उन लोगों को अपने विचार प्रगट करने का मौका दे जो इस विषय पर यहां बोल चुके हैं या अपने सुझाव देना चाहते हैं।

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं समझता हूं कि न तो इस संशोधन विधेयक को यथावश्यक परिचालित करवाया गया है और न जनता की सम्मति ही ली गई है। हालांकि माननीय गृह-कार्य मंत्री का कथन है कि उन्होंने राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सम्मतियां ले ली हैं किन्तु इन न्यायाधीशों को फौजदारी के अभियोगों का बिल्कुल ही अनुभव नहीं है। मेरी समझ से तो सभी विधि जीवी संघ इन प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों की निन्दा ही करेंगे। कम से कम सेशन के सिपुर्द करने की कार्यवाहियों को कोई भी विधिजीवी संघ स्वीकार नहीं करेगा।

मैं प्रस्तावित किये गये कुछ संशोधनों का तो स्वागत अवश्य करता हूं उदाहरणस्वरूप, असेसर की सहायता से मुकद्दमों की सुनवाई समाप्त करने के प्रस्ताव को ले लीजिये। मैं इसका समर्थन करता हूं। इसको समाप्त करना आवश्यक है।

मैं उन लोगों से सहमत हूं जिन्होंने अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित झगड़ों के विषय में संशोधन को स्वीकार नहीं किया है। धारा १४५ में संशोधन करने के प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं। धारा ४८८ का संशोधन भी आवश्यक है। धारा ४९७ में ज़मानत की व्यवस्था सम्बन्धी संशोधन के लिये मैं विशेष रूप से गृह-कार्य मंत्री को बधाई देता हूं। मैं इसमें यह और संशोधन करना चाहता था कि यदि मुकद्दमे की सुनवाई छः सप्ताह में समाप्त नहीं हो जाती है, तो हवालाती कैदी को ज़मानत पर छोड़ दिया जाना चाहिये। यह प्रगतिशील उपबन्ध है।

यद्यपि गृह मंत्री का विचार इनको प्रतिक्रियावादी बनाने का नहीं है किन्तु कुछ

संशोधन प्रतिक्रियावादी हो गये हैं। इन संशोधनों से पुलिस की शक्ति बढ़ जायगी और वह किसी को अपराधी ठहराने में अनुचित जल्दबाज़ी से काम लिया करेगी। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य सस्ता तथा शीघ्र न्याय प्राप्त करना है। हमें इन नारे लगाने वालों की बातों में नहीं आना है।

माननीय गृह मंत्री अभियुक्त को अनुपयुक्त धन व्यय करने से बचाने का प्रयत्न करना चाहते हैं। क्या अभियुक्त के बहुमूल्य अधिकारों को छीन कर ही उसके लिये सस्ते न्याय की व्यवस्था की जा सकती है ? इससे उसका क्या हित होगा ? दो प्रमुख अधिकार अभियुक्त के छीन लिये गये हैं। दोषारोप पत्र तैयार हो जाने के पश्चात् जिरह समाप्त की जा रही है। सेशन के सिपुर्द की जाने वाली कार्यवाहियों की जिरह भी समाप्त की जा रही है। गृह-कार्य मंत्री का कथन है कि इससे सस्ता न्याय हो सकेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। प्रारम्भिक पक्ष से ९९ प्रतिशत अभियोगों म प्रमुख वकील इकट्ठी राशि लेते हैं और केवल इस आधार पर कि अभियुक्त का बहुमूल्य अधिकार ले लिया गया है, क्या कोई भी प्रमुख वकील अपनी फीस घटा देगा ? वह तो उल्टे और भी अधिक फीस मांगेगा क्योंकि वह कहेगा कि अब अभियोग और भी जटिल हो सकता है क्योंकि पुलिस की शक्ति बढ़ गई है।

१० म० पू०

हम अभियुक्त की भुगतान क्षमता के अनुसार ही फीस लेते हैं। केवल अभियुक्त के अधिकार लेकर ही आपका यह कहना भ्रममूलक होगा कि वकील की फीस में उसकी बचत हो जायेगी।

हम चलते फिरते न्यायालय बनाना चाहते हैं। क्या इससे न्याय शुल्क में कोई कमी हो जायगी ? इसमें सभी की सुविधा पर ध्यान दिया जाना चाहिये किन्तु सबसे पहले पुलिस की सुविधा देखी जायगी, तत्पश्चात् गवाहों की और सबसे अन्त में अभियुक्त की। इससे मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस वालों की बन आयेगी, उन्हें अधिक भत्ते मिला करेंगे और उनकी रहने की व्यवस्था भी हो जायेगी किन्तु बेचारे अभियुक्त को तो कहीं पेड़ के नीचे ही शरण मिलेगी। मुख्यालय में अभियोग होने से वकील इकट्ठी फीस ले लेते हैं किन्तु इस प्रकार तो वे प्रति पेशी के हिसाब से लिया करेंगे। अतः न तो बेचारा अभियुक्त किसी प्रमुख वकील की लम्बी-चौड़ी फीस ही दे पायेगा और न कोई बड़ा वकील इन चलते-फिरते न्यायालयों तक जाने का कष्ट ही उठाना चाहेगा। इससे और भी अधिक भ्रष्टाचार फैल सकता है क्योंकि पुलिस वाले भी उस अभियुक्त को अमीर समझ कर कुछ अधिक ऐंठने की कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : परगना मजिस्ट्रेट दौरे पर जाते हैं और मुख्यालय से बाहर अभियोगों का निर्णय करते हैं।

श्री फ्रैंक एंथनी : यह अपवाद स्वरूप में होता है। हम उनको तथा पुलिस वालों को अतिरिक्त यात्रा भत्ता देकर प्रोत्साहित करते रहते हैं। यह मुख्य उपबन्ध भले ही मुख्य न हो किन्तु यह अभियुक्त के लिये हानिकर ही सिद्ध होगा।

क्या गृह-कार्य मंत्री यह समझते हैं कि केवल इन अधिकारों से अभियुक्त को वंचित करके ही दण्ड प्रक्रिया में शीघ्रता आ जायेगी ? शीघ्रता भला किस प्रकार हो सकती है जबकि इन मजिस्ट्रेटों के पास न जाने कितना फालतू काम भी रहता है। राजकोष मजिस्ट्रेट तो दिन भर में एकाध वादी पक्ष के गवाहों के बयान सुन पाता है, और अभियोग को समाप्त कर देता है। उसे अधिक समय ही इस कार्य

[श्री फ्रेंक एंथनी]

के लिये नहीं मिल पाता। वह माल के कार्य को प्राथमिकता देता है और इसीलिये मुख्यतः इस कार्य में विलम्ब होता है। यदि इसमें शीघ्रता करनी है तो इसमें पूर्ण रूपेण परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं सभी मजिस्ट्रेटों के लिये नहीं कहता; किन्तु कुछ बड़े आराम-तलब भी हैं और कुछ मेहनती भी। कुछ मजिस्ट्रेट ग्यारह-बारह बजे तक न्यायालय पहुंचते हैं और गप-शप में भी काफी समय बिता देते हैं। वे किसी की भी परवाह नहीं करते। कुछ सेशन जज भी बड़े सुस्त हैं जो साधारण से मामले में कई कई मास लगा देते हैं। इस में भी सुधार करने की आवश्यकता है तभी शीघ्रता हो सकेगी, अन्यथा नहीं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १६१ में संशोधन करने का एक प्रस्ताव खण्ड २० में रखा गया है। जहां तक पुलिस की रिपोर्ट पर प्रारम्भ की गई सेशन सिपुर्द सम्बन्धी कार्यवाहियों का सम्बन्ध है, पुलिस अफसर को आवश्यक गवाहों के बयान लेने चाहियें। स्पष्टतः यह पुलिस का कार्य है। धारा १६१ के अन्तर्गत न तो अभियुक्त और न वकील ही पहले से यह जान सकेगा कि क्या होने जा रहा है? यह उपबन्ध न केवल प्रतिक्रियावादी ही है वरन् न्यायविरुद्ध भी है। यह बयान मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी लेगा। पुलिस का दरोगा तहसीलदार के पास जायगा। तहसीलदार उसको वह बयान दे देगा और वकील सरकार उससे इसको अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिये कह देगा। वह कुछ थोड़ा-बहुत हेर-फेर करके इसे लिख लेगा। कहा यह जायगा कि यह बयान शपथ ग्रहण करके दिया गया है। यदि जांच करने वाला अफसर ही बेईमान हो, तो उसकी बेईमानी को रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया है। इन प्रमाणों को, विशेषकर जाली प्रमाणों को पुलिस अफसर बने बनाये ढांचे के अनुसार तैयार कर लेगा। यह अभियोग चाहे सेशन सिपुर्द करने वाला हो, चाहे वारंट अभियोग सभी गवाहों को पुलिस अफसर जैसा सिखा-पढ़ा देगा वे उससे हट नहीं सकते। इन गवाहों को डरा-धमका कर वे मनमाना बयान दिलवा देते हैं। जो कुछ उनका बयान कहता है, उससे कुछ भी अधिक वे नहीं कह सकते, उनको चाहे कितना ही विवश क्यों न किया जाय। मैं नहीं कहता कि ऐसा जान-बूझ कर किया जा रहा है।

हमारी स्वतन्त्रता पर दिन प्रतिदिन कुठाराघात किया जा रहा है। पहले निवारक निरोध अधिनियम बना, तत्पश्चात् समाचार पत्र आपत्तिजनक अधिनियम बना और दण्ड प्रक्रिया आई है। अब धारा १६२ को समाप्त कर देने का संशोधन रखा गया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्रस्तुत किये गये बयान में अपने हस्ताक्षर नहीं करने चाहियें। यह सभी बयानों में लागू होता है चाहे वह पुलिस अफसर के सामने दिया गया है और चाहे मजिस्ट्रेट के सामने। सब लोग जानते हैं कि पुलिस वाले किस प्रकार फ़ुसलाकर गलत बयान पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं, और वह उसे अस्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि नैतिक रूप से उसने हस्ताक्षर कर ही दिये हैं। हमने हस्ताक्षर के लिये एक उपबन्ध बनाया है। यह धारा १६२ के विपरीत है कि तहकीकात के समय कोई भी बयान नहीं लिये जा सकते और यदि लिया भी जाता है तो उस पर हस्ताक्षर नहीं होने चाहियें। धारा १६२ में जो यह कहा गया था कि तहकीकात के समय जो बयान दिया जायगा वह अभियुक्त के लाभ के लिये होगा और इसका उपयोग केवल प्रमाण अधिनियम में धारा १४५ के अन्तर्गत ही विरोध के लिये किया जा सकता है। पुष्टिकारक प्रयोजनों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह मूल सिद्धान्त था

और केवल अभियुक्त के हित के लिये रखा गया था। यदि आप इसी उपबन्ध को धारा १६१ में रख देते हैं तो यह न्यायविरुद्ध होगा। इसका परिणाम यह होगा कि चूंकि यह तहकीकात के सिलसिले में किया गया है, इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, और यह केवल धारा १६२ के बदले ही प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि आपका यह विचार है कि धारा १६१ के अन्तर्गत लिया गया बयान पुष्टि के रूप में मान्य हो, तो मैं यह कहूंगा कि इससे उन सभी अधिकारों का हनन होगा जो कि एक अभियुक्त को धारा १६२ के अधीन दिये गये हैं।

धारा १६२ का तात्पर्य यह था कि अभियुक्त के हित को छोड़ कर अन्य किसी के भी द्वारा तहकीकात के समय लिये गये बयान में कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता। यह केवल जिरह के कारण रखा गया है। यदि धारा १६१ रहती है, तो धारा १६२ में जो प्रथा चली आती है, वह मजिस्ट्रेट तक के द्वारा लिये गये बयान में लागू होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य है धारा १६१ के अन्तर्गत लिये गये बयान का प्रयोग करना। इस प्रकार तो हम अभियुक्त को बांध रहे हैं, गवाहों को नहीं। इस सबका परिणाम यह होगा कि अभियुक्त को अपनी रक्षा करने की अनुमति देने से पूर्व ही हम उसे दण्ड देना चाहते हैं। धारा २०७ क में मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त की जांच का उल्लेख है। अब मजिस्ट्रेट उसका बयान लेगा। प्रतिवादी का बयान सुनने से पूर्व ही मजिस्ट्रेट उसका बयान लेगा।

डा० काटजू : उसके पास सभी की प्रतिलिपियां पहुंचा दी जाती हैं।

श्री फ्रैंक एन्थी : सुनने तथा देखने के प्रमाण में बड़ा अन्तर होता है। आप मामले की सुनवाई से पहले ही अभियुक्त की जांच करना चाहते हैं। इससे पुलिस का शिकंजा ताकतवर बनता है। सर्वप्रथम, पुलिस मामले की रचना करती है। वह झूठे और सच्चे, सिखाये हुए और दूसरे गवाह उपस्थित करती है जिनकी बाद में हलफिया बयान लिये जाते हैं। अभियुक्त के लिये निर्धारित प्रत्येक संरक्षण जान बूझ कर उससे ले लिया गया है। अभियुक्त की जांच की जाती है। क्यों ? उसके विरुद्ध प्रतीत होने वाली परिस्थितियों के सम्बन्ध में उसकी जांच की जाती है। अभियुक्त की जांच अभियुक्त के लाभ के लिये की जाती है। जिरह करना उसका अभिप्राय कभी नहीं था। वह अनुयोग नहीं था। अब हम "उसके विरुद्ध प्रतीत होने वाली परिस्थितियों के सम्बन्ध में" शब्द जानबूझ कर निकाल देते हैं। हम एक कदम आगे जा रहे हैं। बिना साक्ष्य सुने उसकी जांच की जा रही है। ढांचा वैसा ही है। यह वधिक का ढांचा है। हम अभियुक्त की जांच के सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं रखना चाहते हैं। इसके पहले यह पूर्णतया मजिस्ट्रेट के विवेकाधीन था। अब मेरे विरुद्ध प्रतीत होने वाली परिस्थितियों में ही मेरी जांच नहीं की जाती है लेकिन इस्तगासा (अभियोग) के सुझाव पर ऐसा किया जाता है। किसी भी पुलिस राज्य में इससे अधिक व्यापक अभियुक्त-विरोधी विधेयक नहीं हो सकता था।

डा० काटजू : जहां तक इस सेशन सुपुर्दगी कार्यवाही दूर कर देने का सम्बन्ध है, हम वारंट के मामलों की कार्यवाही को सरल करना चाहते थे। हमारी इच्छा थी कि जहां तक लिखित रिकार्ड का सम्बन्ध है अभियुक्त के सामने पूरी तस्वीर हो।

चूंकि मैंने अन्तर्बाधा उपस्थित की है तो मैं एक शब्द कह दूं। माननीय मित्रों का कहना है कि धारा १६१ के अधीन वक्तव्य को साक्ष्य का प्रतिवाद करने के अतिरिक्त और किसी भी कार्य के लिये प्रयुक्त नहीं

[डा० काटजू]

करना चाहिये। लेकिन वकालत में लगे रहे किसी वकील की हैसियत से मैं कह दूं कि क्या होता है। अभियोग साक्ष्य आता है। अभियुक्त के पास डायरी के बयान की एक प्रतिलिपि है और मान लीजये कि मुख्य जांच में उस अभियोग गवाह की साक्ष्य के दौरान में और जिरह के समय उस अभियोग गवाह के सामने डायरी का वक्तव्य नहीं है, तो न्यायाधीश समेत प्रत्येक व्यक्ति यह निष्कर्ष निकालता है कि गवाह उसी बयान पर चिपका हुआ है जो उसने जांच करने वाले इंसपेक्टर के सामने दिया था, क्योंकि यदि वह इससे मुड़ जाता अथवा इसमें कुछ घटा-बढ़ी कर देता तो उसको डायरी के बयान का सामना करना पड़ता। अतः उद्देश्य पूरा हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति कहता है: "सेशन सुपुर्द करने वाले मजिस्ट्रेट के सामने छः महीने बाद अभियोग साक्षी की जांच की जाती है, सेशन न्यायाधीश के सामने बारह महीने बाद जांच की जाती है और डायरी के बयान द्वारा उसका खंडन नहीं किया गया है और न जांच के बाद दो दिन के अन्दर दिये गये उसके वक्तव्य से ही उसका प्रतिवाद किया गया है।" इसका यह परिणाम है कि अभियोग साक्षी अपने उसी बयान पर दृढ़ रहता है जो उसने जांच के समय दिया था, यह उसकी लगभग पुष्टि करता है।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पूर्व): मेरा अनुभव बहुत कम है, लेकिन मेरा विचार है कि कोई भी न्यायाधीश इस तर्क को अमान्य कर देगा।

डा० काटजू: बहुत अच्छा।

श्री फ्रैंक एंथनी: जो व्यक्ति वास्तविक न्यायाधीश है वह कभी इसे पुष्टिकरण के लगभग नहीं मान सकता।

डा० काटजू: वस्तुतः यह ऐसा है।

श्री फ्रैंक एंथनी: वह डायरी की कल्पना भी नहीं करेगा।

डा० काटजू: वह भले ही ऐसा कह दे लेकिन वह डायरी पढ़ता है।

श्री फ्रैंक एंथनी: मेरी आपत्ति यह है कि हम हर सम्भव तरीके से पुलिस के हाथों में खेल रहे हैं और धारा १६१ केवल अभियुक्त के विरोध में कार्य कर सकती है, उसके पक्ष में कभी नहीं। जैसा मैंने कहा पुलिस अधिकारी केवल उन्हीं गवाहों को उपस्थित करेगा जो गढ़े-गढ़ाये हैं। वह उन्हें अपने पूर्व कथन से विरत होने और सच बात कहने से रोकेगा। वह नायब तहसीलदार से अपनी मर्जी के अनुसार लिखवा लेगा और उसमें बाद में जोड़ने, सुधार करने और बदलने के लिये पर्याप्त गुंजायश रख छोड़ेगा।

मेरे कुछ मित्रों की दलील है कि सैशन सुपुर्दगी के मामलों में ज़िरह करने की पद्धति नहीं है। लेकिन हमारा विचार है कि यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है। जिन व्यक्तियों ने हत्या के दर्जनों मामलों में पैरवी की है, सेशन सुपुर्दगी में जिरह करना उनकी पद्धति रही है। यह मेरी मूलभूत कार्यविधि रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं मालूम कि माननीय मंत्री का क्या अनुभव है। सामान्यतया यदि अभियुक्त यह तय नहीं कर पाता है कि वह बचाव का कौनसा मार्ग अख्तियार करे तो वह समय काट देता है और जिरह नहीं करता है।

श्री फ्रैंक एंथनी: यह खतरनाक है।

डा० काटजू: यदि उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है तो वह अपराधी है। उसे जेल जाना ही चाहिये।

श्री फ्रैंक एंथनी: नायब तहसीलदार के सामने कुछ गवाह उपस्थित कर दिये जाते

हैं और आप मुझ से मेरे बचाव का इज़हार कराना चाहते हैं। कुछ राज्यों में सरकारी वकील सदैव कहता है : "अभियुक्त को वक्तव्य देने का अवसर था। उसने ऐसा नहीं किया है। वक्तव्य देने के प्रथम अवसर का लाभ न उठाने के कारण विपरीत निष्कर्ष निकालना चाहिये। मैं जानता हूं अभियुक्त के बचाव को प्रकट न करने के कारण कुछ न्यायालयों ने विपरीत निष्कर्ष निकाले हैं। मैं कहता हूं कि जिरह के दो अवसर नितांत आवश्यक हैं।'

हम अभियुक्त का जीवन मजिस्ट्रेट के विवेक पर नहीं छोड़ सकते हैं। हम कुछ अधिकार चाहते हैं। धारा १६१ पूरा रिकार्ड नहीं देती है क्योंकि आपने स्वयं यह बता दिया है कि उसमें उन्हीं गवाहों के बयान हैं जो पुलिस पदाधिकारियों के प्रिय हैं। इसके अतिरिक्त उनमें केवल संक्षिप्त बयान रहते हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि मेरे सामने पूरी तस्वीर रहेगी। अभियोग की मुख्य जिरह में पुलिस पदाधिकारी जब तक मेरे सामने पूरा मामला नहीं रखते हैं तब तक मैं पूरी तस्वीर नहीं देख सकता हूं। वारंट के मामले में क्या होता है। आखिरकार मैं मनुष्य हूं और जब मामले में एक के बाद दूसरी गवाही प्रकट होती है, गवाही को अपनी पूरी योग्यता से सुनने पर भी मैं प्रत्येक शब्द को याद नहीं रख सकता और तब क्या एक-एक बात पर मुझ से जिरह की जा सकती है ? जैसा आप जानते हैं लोगों को एक शब्द के आधार पर जेलों से ही नहीं लेकिन फांसी से बचाया गया है। आपको मालूम है कि बहुधा कोई गवाह बाद में आता है और वह कुछ ऐसी बात कहता है जिसका मुकदमे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के मामलों में क्या किया जाये। मैं यह कह सकता हूं कि वारंट के मामलों में जो व्यक्ति रिहा किये जाते हैं, उनमें से ९० प्रतिशत व्यक्तियों की रिहाई का कारण सावधानीपूर्वक की गई जिरह थी। जिरह का जो दूसरा अवसर आता है, प्रायः नव्वे प्रतिशत मामलों में इसी जिरह के समय निर्दोष व्यक्ति रिहा हो पाता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा अधिकार है कि जिसके आधार पर वह रिहा किया जा सकता है तो मैं नहीं समझता कि गृहमंत्री क्यों इसमें रोष प्रकट करते हैं। वह यह धारणा बना सकते हैं कि रिहा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सन्देह का लाभ दिया जाना चाहिये। लेकिन आप अभियुक्त से यह आवश्यक और महत्वपूर्ण अधिकार क्यों ले रहे हैं ? समस्त प्रक्रिया से सम्बद्ध यह बहुत ही आवश्यक अधिकार है। सरकारी वकील पुलिस की ओर से अभियोग चलाने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक योग्य होता है। यदि अभियुक्त ने वक्तव्य दे दिया तो अभियोगकर्ता उसे इस तरह बना देगा कि अभियुक्त वक्तव्य देने से सब ओर से दोषी सिद्ध हो। यही मेरी आपत्ति है। मेरा मत है कि यह अभियुक्त का एक महत्वपूर्ण अधिकार है।

इसके बाद धारा ४३५ के सम्बन्ध में एक संशोधन है। माननीय गृह मंत्री कहते हैं कि हम इसे केवल विध्यनुकूलता तक ही सीमित रखेंगे, और उनका तर्क क्या है ? वे कहते हैं कि हम न्यायपालिका का समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि यदि पुनर्विचार से वर्ष में एक व्यक्ति भी दोषमुक्त कर दिया जाय तो इसे आप कभी समय बर्बाद करना नहीं कह सकते हैं। स्वयं गृह मंत्री ने कहा है कि पचहत्तर प्रतिशत व्यक्ति सेशन में बरी कर दिये जाते हैं और शेष २५ प्रतिशत व्यक्ति उच्च-न्यायालय में बरी हो जाते हैं। यह उनकी शिकायत है। उनका विश्वास है कि जो भी लोग बरी होते हैं वे गलती से बरी होते हैं। उनका विश्वास है कि बरी हो जाने पर भी वे दोषी हैं। गृह मंत्री की सम्पूर्ण विचार प्रणाली गलत है। यह एक सर्वथा प्रतिक्रियावादी कदम है।

[श्री फ्रैंक गुंथनी]

गृह मंत्री का तर्क देखिये। उनका कथन है कि हम अभियुक्त के रुपये की भी बचत कर रहे हैं। इससे अधिक उलटी उनकी युक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहां एक व्यक्ति की आज़ादी, स्वतन्त्रता और उसके जीवन का प्रश्न है लेकिन गृह मंत्री को उसके रुपयों की फिक्र पड़ी है। मुझे उनका तर्क समझ में नहीं आ रहा है। जब लोग यह अनुभव करते हैं कि वे निर्दोष हैं और उन्हें बरी किया जाना चाहिये तो गृह मंत्री द्वारा उनके मार्ग में कठिनाइयां पैदा करने पर भी वे रुपया खर्च करेंगे क्योंकि स्वतन्त्र जीवन का उससे अधिक महत्व है।

मैं यह कह दूं कि मैं कभी भी मजिस्ट्रेट की उपपत्ति को स्वीकार नहीं करता हूं क्योंकि यह उपपत्ति पुलिस की ओर से ही है। मैजिस्ट्रेट पुलिस के प्रियभाजन हैं। यद्यपि कुछ मजिस्ट्रेट ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे कहे जा सकते हैं। इस देश में मैजिस्ट्रेसी पुलिस का ही एक अंग है। लेकिन हम आभारी हैं इस बात के कि सेशन के न्यायाधीश पुलिस के अधीन नहीं हैं। उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय के निर्णय देखिये। उच्चतम न्यायालय के महान्यायाधिपति श्री महाजन का एक प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) देखिये। उन्होंने एक सेशन न्यायाधीश के विषय में कहा है कि उसे भाषा का ज्ञान नहीं है, वह विधि नहीं समझ सकता है, वह उलटी मति वाला एवं मानसिक रूप से बेईमान है। इस तरह के लोगों के हाथों में आप अभियुक्त का अन्तिम निर्णय सौंपना चाहते हैं। यदि आप न्याय पद्धति के प्रति आदर की भावना पैदा करना चाहते हैं तो आप इसके अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करिये अथवा इसे ज्यों का त्यों ही छोड़िये। मैजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीशों में लोगों को विश्वास नहीं है। केवल उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ही उनके आदर का कारण हैं।

धारा ४१७ के विषय में भी मैं कुछ शब्द कह दूं। मेरी राय में यह एक असभ्य और बर्बरतापूर्ण उपबंध है। यह फौजदारी कानून पर कलंक है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि सरकार इस असाधारण उपबंध का आये दिन प्रयोग कर रही है। मुझे यह कहने में रंज है कि बरी किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध अपीलें ली जा रही हैं। आपको संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, यदि आप में आत्मा नाम की कोई भी वस्तु है तो आप इस बात का ध्यान रखिये कि यदि एक व्यक्ति को पहली बार दण्ड दिया जाता है तो उसे अपील करने का कम से कम एक अधिकार होना चाहिये। आप संविधान में संशोधन कीजिये।

श्रीमान्, इसके बाद मैं अन्तिम विषय की ओर आता हूं।

मेरी आपत्ति दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील करने के सिद्धान्त पर है, परन्तु यदि हमें इसे रखना ही है तो हमें कुछ न्याय सम्बन्धी चेतना का भी प्रदर्शन करना चाहिये। वर्तमान व्यवस्था में यदि किसी व्यक्ति को पहली बार न्यायालय में दंड मिलता है तो उसे अपील करने का कोई अधिकार नहीं होता।

सरकारी कर्मचारियों की मानहानि के सम्बन्ध में खंड ११२ में जो संशोधन किया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं, यह अत्यन्त ही अनचित है, माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में जो तर्क दिये हैं वे कठोर तथा अफसोसनाक हैं। हम यहां इसे एक हस्तक्षेप मामला बना रहे हैं। ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी को तहकीकात करनी पड़ती है तथा उसकी यही कोशिश रहती है कि अभियक्त को किसी भी कीमत

पर दंड मिलना चाहिये, ऐसी दशा में जब आप दोनों पक्षों को असमान स्तर पर रखेंगे तो इससे दूसरा पक्ष निस्सन्देह घाटे में रहेगा। पुलिस पहले से ही ऐसा करती रही है, यहां उसके ऐसा करने का एक और भी कारण होगा, जो यह है कि अभियोक्ता एक महत्व-पूर्ण व्यक्ति होगा। इस तरह से यह उपबन्ध आतंक का साधन बन जायगा, यह संविधान के विरुद्ध न हो परन्तु यह विधि के समक्ष समानता के सिद्धान्त के विरुद्ध अवश्य है। आप सरकारी कर्मचारियों को एक विशेष दर्जा दे रहे हैं, उनके सम्बन्ध में यह हस्तक्षेप्य मामला होगा तथा जनसाधारण के सम्बन्ध में यह अहस्तक्षेप्य मामला होगा। जनसाधारण के सम्बन्ध में प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा जबकि प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सम्बन्ध में मामला सत्र न्यायालय में जायगा। इस तरह से यह जनता के आतंक का साधन बन जायगा, उन्हें मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों की वैध आलोचना भी नहीं करने दी जायगी। किसी साधारण व्यक्ति को आवाज़ उठाने की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी, उसे पुलिस तथा उनकी करतूतों का मुकाबला करना होगा तथा फिर सत्र न्यायालय में भी जाना होगा जहां कि उसे न केवल जर्माने की सज़ा अपितु क़ैद की सज़ा भी मिल सकती है। यह अभियुक्त के गले में एक फंदा डाला जा रहा है। अभियुक्त से सभी आवश्यक अधिकार छीने जा रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे अविलम्ब तथा कम शुल्क पर न्याय प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि माननीय मंत्री सुधार करने के उत्सुक हैं तो उन्हें उन बेकार के उपबन्धों पर दृष्टि डालनी चाहिये कि जो कि हमारी विधि-व्यवस्था में विद्यमान हैं। प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेटों के मामले को ही लीजिये, उसके अधिकार एक ज़िला मजिस्ट्रेट से अधिक हैं, बम्बई में वह सरसरी तौरपर एक मामले का फैसला कर सकता है जबकि वहां से पांच ही मील दूर एक प्रथम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट वारंट प्रक्रिया द्वारा उसका फैसला करेगा, यदि प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को २०० रुपये जर्माने की सज़ा देगा तो वह व्यक्ति अपील नहीं कर सकता है। तो स्पष्ट है कि यह उपबन्ध समय के विपरीत बात है। इसी तरह और भी उदाहरण हैं। धारा ३५० को ही लीजिये जिसका सम्बन्ध नये सिरे से वैध अन्वीक्षा से है, यह एक बिल्कुल गलत चीज़ है क्योंकि अभियोग लगाने से पूर्व कोई वैध अन्वीक्षा नहीं होती है। अब यदि कोई मजिस्ट्रेट बयान के दौरान में ही अथवा जिरह के दौरान में तबदील हो जाय तो आप मुकद्दमा स्थानान्तरित नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आप नये सिरे से वैध अन्वीक्षा भी नहीं करा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को जेल भेजना हो तो वह ऐसे व्यक्ति द्वारा जेल भेजा जाना चाहिये जिसने स्वयं गवाह देखे हों और जिसने उनके बयान सुने हों, यह एक अत्यन्त ही आवश्यक सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त को अब तिलांजलि दी जा रही है।

माननीय मंत्री कोई सुधार करना चाहते हों तो उन्हें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना चाहिये, जनता को आज मैजिस्ट्रटों में बहुत कम विश्वास रह गया है, कारण यह है कि वह मैजिस्ट्रेटों को पुलिस संगठन का एक अंग समझते हैं। मैजिस्ट्रेटों की कार्य प्रगति की रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों के मशवरे से लिखी जाती है, अतः वह न्याय करने से डरते हैं। जब तक वर्तमान व्यवस्था विद्यमान है, तब तक जनता की उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं रह सकती है। आप उच्च न्यायालयों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दीजिये तभी देश में अधिकतम न्याय प्राप्त होगा। इस देश में केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही ऐसे लोग हैं जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है तथा जिनका हम आदर करते हैं।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) इस सदन में वकील सदस्यों के तीन दिन से चले रहे वाद विवाद को सुनने के बाद मैं एक आम व्यक्ति की हैसियत से इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के शानदार भाषण को भी सुनता रहा, तथा मैं हैरान हो रहा था कि क्या वह केवल एक वकील की ही हैसियत से बोल रहे थे अथवा जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से भी।

जनता का कहना है कि वर्तमान प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इसके लिए संहिता ज़िम्मेदार है अथवा दंडाधिकारी वर्ग, अथवा प्रशासकीय व्यवस्था यह तो मैं कह नहीं सकता हूं। परन्तु यह सत्य है कि न्याय आजकल इतना महंगा और और इतना दीर्घसूत्री है कि आम व्यक्ति इसे प्राप्त नहीं कर सकता है, यह ठीक है कि अभियुक्त को अपना स्पष्टीकरण देने का प्रत्येक मौका मिलना चाहिये। परन्तु हमें उस पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिये जो कि उसकी करतूतों के कारण दुःख का भाजन बना हो। आजकल कई ऐसे मामले हमारे ध्यान में आते हैं जहां कि लोगों को मामूली अपराधों के सिलसिले में न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालयों की खाक छाननी पड़ती है। उन्हें दुख पहुंचता है क्योंकि उन्हें न्याय प्राप्त नहीं होता।

समझता हूं कि यह विधेयक इस दीर्घसूत्रता को कम करने की दिशा में एक सही क़दम है, इसके लिये माननीय मंत्री बधाई के पात्र हैं, पंडित भार्गव ने कहा कि इस संशोधन द्वारा न केवल न्याय होने में विलम्ब होगा अपितु जनता इससे वंचित भी रह जायगी। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं। इसके उलट इस विधेयक में कई ऐसे उपबन्ध विद्यमान हैं जिन से कि कम खर्चे पर तथा बिना किसी विलम्ब के जनता को न्याय प्राप्त होगा। जनता वर्तमान व्यवस्था से तंग आई है, जितनी जल्दी हम इस बात को समझ पायेंगे उतना ही अच्छा है।

यहां बड़े लम्बे लम्बे भाषण हुए, परन्तु किसी भी महाशय ने यह नहीं बतलाया कि इस विधेयक का सुधार कैसे किया जाये, एक सुझाव भी नहीं दिया गया, यह एक अफसोस की बात है।

झूठी गवाही को रोकने के लिए धारा ४८५ का संशोधन किया गया है यह एक शुभकर बात है। सभी लोग यह मानते हैं कि झूठी गवाही देने का रोग बढ़ता जा रहा है। क्या इसे रोकना हमारा कर्तव्य नहीं? आखिर पुलिस वाले भी हमारे समाज में से आते हैं, आपने तहक़ीक़ात करने के लिए उनके हाथ में कौन सी वैज्ञानिक व्यवस्था रखी है? हमने उन्हें यह काम करने के लिए कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं दिया है। हम उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं देते हैं, फिर भी हम उन पर दोष लगाते हैं। हमें शिक्षित व्यक्तियों को पुलिस में भर्ती करना होगा और उन्हें अच्छे पैसे देने होंगे।

[**सरदार हुक्म सिंह** पीठासीन हुए]

मुझे एक ऐसे मामले की जानकारी है जहां कि एक अभियुक्त को लगभग दो वर्ष हिरासत में रखा गया किन्तु उसे बाद में न्यायालय ने बरी कर दिया, उर्वरक मामला तथा घी के सम्बन्ध में गोलमाल का मुकद्दमा बरसों से चल रहा है। इसी तरह दिल्ली के अनाज सैंडीकेट का मामला भी हमारी दृष्टि में है, यह विधेयक इस तरह की कार्यवाहियों को कम दीर्घसूत्री बनाता है, मैं इसका स्वागत करता हूं।

असेसर प्रणाली के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह एक बराई है, मेरे विचार में यह बात सही नहीं। फिर भी यदि वह अपने अनुभव के आधार पर ऐसा कह रहे हैं तो हमें इस प्रणाली को तिलांजलि देनी चाहिये।

मैं न्यायसभ्य द्वारा मुकद्दमों की सुनवाई के पक्ष में हूं। यदि लोकतंत्र में हमारा विश्वास है तो हमें इस प्रणाली को प्रोत्साहन देना चाहिये। माननीय मंत्री ने विधेयक में इस सम्बन्ध में जो परिवर्तन किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। हमें इस प्रणाली को सभी राज्यों में चलने का मौका देना चाहिये। हो सकता है कि शुरू में इसमें कुछ कठिनाई उत्पन्न हो परन्तु अन्ततोगत्वा यह उचित रूप से चलती रहेगी।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि किसी अभियुक्त को कुछ निश्चित कालावधि के लिए ही हिरासत में रखा जा सकेगा, यह एक शुभकर उपबन्ध है। यदि उस समय तक पुलिस उसके विरुद्ध साक्ष्य पेश नहीं कर सकेगी तो उसे ज़मानत पर छोड़ा जायगा।

मानहानि से सम्बन्धित वक्तव्यों को हस्तक्षेप्य अपराध ठहराया गया है, मैं इस संशोधन से सहमत नहीं हूं। भ्रष्टाचारी अधिकारियों के विरुद्ध जनता को जो यह एक अधिकार प्राप्त था वह भी उनसे छीना जा रहा है। मुझे एक मामले की जानकारी है जिसमें कि एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि उसे रास्ते में लूट लिया गया है थानेदार ने उसे अपनी फर्याद वापिस लेने के लिए कहा किन्तु उस व्यक्ति ने ऐसा करने से इंकार किया। इस पर थानेदार ने उसकी मारपीट की। अब यदि मैं किसी स्थानीय समाचारपत्र में इस घटना का वर्णन करूं तो मेरी स्थिति क्या होगी ?

एक माननीय सदस्य : आप गिरफ्तार कर लिए जायंगे।

श्री बंसल : मैं चाहता हूं कि इसमें से "या कोई अन्य सरकारी कर्मचारी जो सरकारी कार्य सम्पादन में लगा हो" शब्द हटा दिये जायें अन्यथा छोटे छोटे शहरों में कोई सुरक्षा या नागरिक स्वतन्त्रता नहीं रहेगी। मैं इस सिद्धान्त को मानने वालों में से हूं कि कानून के अनुसार शासन व्यवस्था चलनी चाहिये। यह संसद् जिस भी विधान को स्वीकार करती है वह कानून की उचित प्रक्रिया है। मैं यह मानता हूं कि संसद् को कोई भी विधान शीघ्रता में नहीं बनाना चाहिये और मानव के मूल अधिकारों को सदा बनाये रखना चाहिये। इस संशोधक विधेयक द्वारा किसी वैध अधिकार या उचित प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं होता। जब कभी कोई सुधार किया जाता है तो वह लोकप्रिय नहीं होता। वकीलों ने इस विधेयक का समर्थन नहीं किया किन्तु जिस व्यक्ति को न्यायालय में जाने का मौका मिला है वह इस विधेयक के अधिकांश उपबन्धों का समर्थन करेगा।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : गृह मंत्री जिन आधार भूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कार्य कर रहे हैं उसे देख कर असन्तोष ही होता है। उन्होंने सदन में कहा कि वह दो बातों के कारण बहुत चिन्तित हैं। उनमें से एक तो यह है कि मुकद्दमा चलाये जाने वाले मामलों की संख्या की तुलना में विमुक्ति की प्रतिशतता अधिक है और वह चाहते हैं कि दोष सिद्धि की संख्या बढ़ जाये। दूसरी बात यह है कि न्यायालयों तथा वकीलों आदि के कार्य ऐसे हैं जिनसे न्याय स्थापना के कार्य में अधिक सफलता नहीं मिल पाती। हम भी यह नहीं चाहते कि ऐसी बातें चलती रहें। किन्तु उसके साथ हम यह भी समझते हैं कि इस विधेयक में जिस प्रतिकार का सुझाव दिया गया है, अर्थात् अभियुक्त को किसी भी प्रकार का सुरक्षण प्राप्त न हो, उससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि न्याय कार्य में शीघ्रता की जा सके और उसके सम्पादन में खर्च भी कम हो। लोग न्यायालयों को अपनी संस्था नहीं समझते और वे उसमें सच बात बताने के स्थान पर केवल अपनी

[श्री राघवाचारी]

सफलता ही प्राप्त करना चाहते हैं और वे इस बात का विचार नहीं करते हैं कि न्यायालयों में न्याय किया जाता है या नहीं। न्यायालयों में लोग शपथ लेकर भी झूठी गवाही देते हैं। इनमें किस प्रकार सुधार किया जाय ? इसमें कूट साक्ष्य के अपराध में अभियोग चलाने से ये बराइयां दूर नहीं होंगी। हमारी पुरानी न्याय प्रणाली अब जैसी नहीं थी। देश में पंचायतें स्थापित थीं जिनमें पंच-निर्णय के आधार पर निर्णय किये जाते थे और उनमें वर्तमान विभिन्न प्रकार की साक्ष्य प्रथा नहीं थी। सुधार तो तभी हो सकता है जब इस प्रकार की संस्थायें जीवन का अंग बन जायें और देश के लिये उपयुक्त हों।

गृह मंत्री विमुक्ति की प्रतिशतता को देखते हैं। छै वर्ष तक सरकारी अभियोक्ता अधिकारी के रूप में मुझे भी अभियोग चलाने का बहुत अधिक ज्ञान और अनुभव है। मैं जानता हूं कि अधिकांश मामलों में सत्य केवल १० या १५ प्रतिशत ही होता है। यही सब बुराइयों की जड़ है। हम लोग तथा न्यायाधीश भी उस समय को, जबकि पुलिस को पहिली रिपोर्ट की जाती है, सबसे अधिक महत्व देते हैं। जिस समय घटना होती है और जब इसकी रिपोर्ट पुलिस को की जाती है इन दोनों के बीच के अन्तर में लोगों को किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाने का मौका मिल जाता है। धारा १६१ या १६२ के अन्तर्गत जांच करने वाला अधिकारी बयानों को गवाहों के अनुसार नहीं अपितु अपनी इच्छानसार लिखता है। सभी मामलों में कुछ बातें की जाती हैं। मजिस्ट्रेट गवाहों के बयान लिखता है। कभी कभी वह वही लिखता है जो जांच करने वाला अधिकारी उसे लिखवाना चाहता है। न्यायालय में बहुत सी बातें निर्धारित की जाती हैं फिर मामला सत्र न्यायालय में जाता है। वहां अन्य लोगों का प्रभाव डाला जाता है, भ्रष्टाचार चलता है, प्रलोभन देकर काम निकाला जाता है तथा सम्बन्धियों से या सम्बन्ध स्थापित करके काम निकलवाया जाता है। इसलिये जिस बात से दोष सिद्धि की संख्या बढ़ सकती है वह यह है कि मामले की जांच सचाई पूर्वक तथा बिल्कुल ठीक ढंग से की जाय। अतः समर्पण कार्यवाही की प्रथा को हटा देने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री बंसल ने कहा था कि इसके लिये व्यवहारिक सुझाव क्या हैं। उस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि पहिले सत्र न्यायाधीश अंग्रेज होते थे जो हमारी भाषा तथा हमारे तरीके और व्यवहारों को नहीं जानते थे इसलिये समर्पण कार्यवाही रखी गई थी। क्लर्क ही मजिस्ट्रेटों के स्थान पर बयान लिख लिया करते थे और स्वयं सरकार को मजिस्ट्रेटों में विश्वास नहीं था। इसलिये सरकार नहीं चाहती थी कि वे उस प्रकार के स्वविवेक से काम करें। मजिस्ट्रेट सभी बयानों की नकल करके सत्र न्यायालय में भेज देते थे। यदि आप उचित रूप से कार्य करना चाहते हैं तो मजिस्ट्रेट तथा न्यायिक अधिकारी बहुत योग्यता वाले व्यक्ति होने चाहियें जिन्हें जीवन का अनुभव हो और जो सच्चे और झूठे मामले में भेद कर सकें। इन्हें इन लोगों को छोड़ सकने का स्वविवेक होना चाहिये। फिर अब की तरह से सत्र न्यायालय में प्रत्येक मामला नहीं जायगा।

इस विधेयक में किये गये उपबन्धों से गृह मंत्री का प्रयोजन सफल नहीं रहेगा। मुझे भय है कि अब जो प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव है उस के फलस्वरूप सत्र न्यायालयों में आजकल से भी अधिक विमुक्तियां दी जायेंगी। नई प्रक्रिया के अन्तर्गत जो मुकदमा सत्र न्यायालय के सामने आयगा उसमें क्या होगा ? पुलिस के आदमी धारा १६१ के अन्तर्गत कुछ लिखें या न लिखें। धारा १६४ के

अन्तर्गत वह किसी भी आवश्यक साक्षी को मैजिस्ट्रेट के पास ले जायेंगे और उसका बयान लिखा जायगा । जिस दिन परीक्षण होगा तो वह साक्षी साक्ष्य देता जायगा । इस अवस्था में हम क्या करेंगे । वकील होने के नाते हमें पता है कि एक मुख्य बयान है जो बिना प्रतिपरीक्षण के अभिलिखित किया गया है और और बातों का पता लगाने से प्रत्येक बयान गलत सिद्ध किया जा सकता है । प्रतिवादी वकील ऐसा ही करते हैं । परिणाम यह रहता है कि सारी असंलग्न बातें जो साक्षी धारा १६४ के अन्तर्गत कहते हैं गलत् सिद्ध होती हैं । अन्त में दो साक्षियों के बयानों में विस्तृत बातों में अन्तर पड़ता है और मुकदमा फट हो जाता है । प्रतिवादी वकील प्रश्न पूछ कर और नई बातों का पता लगाता है । पुलिस वाला एक शव एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है । वकील उसे पूछता है कि वहां कौन था, किस के सामने पुलिस ने पूछ ताछ तथा जांच की । इस प्रकार जांच तथा जांच अधिकारी दोनों के आचरण को प्रकट किया जाता है और उस की आलोचना होने लगती है ।

यदि पुलिस के अधिकारी स्वविवेक से काम लें और न्यायालय सही मामलों में दण्ड दे तो ठीक बात है । परन्तु इस के साथ कुछ और भी चीज़ है । माननीय गृह मंत्री ने पुलिस विभाग अथवा उस द्वारा जांच की जाने वाली जांच में एक त्रुटि भी प्रकट नहीं की । वे उनको पूर्णतया ईमानदार लोग समझते हैं और उनकी धारणा है कि यह लोग सत्र न्यायाधीशों तथा उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों से ज्यादा अच्छी तरह अपना कर्त्तव्य पूरा करते हैं । हमारा जो उद्देश्य है वह दण्ड प्रक्रिया संहिता में इधर का उधर करने से प्राप्त नहीं होगा । मेरी सदा यही राय रही है कि मजिस्ट्रेटों तथा मुन्सिफों आदि को जिस पद्धति के अनुसार हम नियुक्त करते हैं वह एक गलत पद्धति है । वह हमारे देश के लिये शोभनीय नहीं। एक लोकतंत्रात्मक सरकार को चाहिये कि वकील समाज के ज्येष्ट व्यक्तियों को चुन ले और उन्हें न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट तथा मुन्सिफ के पदों के लिये लाये और कम से कम पांच दस वर्ष ऐसे पद संभालने को कहें । इसी तरह आप न्याय पद्धति का सुधार कर सकते हैं । यदि आप एक नवयुवक को लाते हैं, तो उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता है और उसका ध्यान पदोन्नति की ओर रहता है और उसको अनुभव प्राप्त नहीं होता ।

समर्पण प्रक्रिया हटा देने के बारे में जो नई प्रक्रिया हैं मैं उसे खतरनाक समझता हूं क्योंकि इस से दोषसिद्धि से अधिक विमुक्तियां होंगी । थोड़ा सा समय बच सकता है, परन्तु वह कोई विशेष सफलता नहीं है । अधिपत्र प्रक्रिया के सम्बन्ध में जो संशोधन रखा गया है उसके अन्तर्गत प्रतिपरीक्षण तथा नये सिरे से परीक्षण के अधिकार से वंचित रखा जायेगा । यही दो बातें अभियुक्त के फायदे की होती हैं और कई बार अभियुक्त वास्तविक अपराधी नहीं होता और कई बार उसके अपराध को बढ़ा चढ़ा कर भी बयान किया जाता है । यह ठीक है कि अग्रेतर प्रतिपरीक्षण के अधिकार से वंचित रखना या न रखना मजिस्ट्रेट के स्वविवेक पर निर्भर है और यदि न्यायाधीश अनुभव प्राप्त हो तो वह इस उपबन्ध को अनुचित रूप से व्यवहार में नहीं लायेगा । परन्तु प्रायः यह समझा जायेगा कि यह उपबन्ध मुकदमों का शीघ्र निर्णय करने के लिये रखा गया है और इस तरह अभियुक्त कुछ लाभ न उठा सकेगा । इसी प्रकार नये सिरे से परीक्षण के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेटों को अधिकार तो है परन्तु उनका उचित प्रयोग किया जाना चाहिये ।

इस विधेयक में कई अच्छे सुधार किये गये हैं । मान हानि के सम्बन्ध में श्री नरसिंहम् द्वारा कल रखे गये सुझाव का मैं स्वागत करता हूं । बिना वारंट के गिरफ्तार करने के अधिकार का निश्चय ही दुरुपयोग किया जायेगा और इस तरह लोक सेवकों की जब कभी कोई आलोचना

[श्री राघवाचारी]

हो उसको दबाने का प्रयत्न किया जायेगा। यह बात वांछनीय नहीं है।

माननीय गृह मंत्री का कहना है कि स्थानान्तरण के अभिवेदन-पत्र सत्र न्यायालय के बाद ही उच्चन्यायालय को भेजे जाने चाहियें। व्यावहारिक रूप से ऐसा ही होता है। परन्तु जब सत्र न्यायाधीश छुट्टी पर हैं तो कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। इससे भी अधिक महत्व इस बात का है कि पुनरीक्षण अधिकार केवल कानूनी मामले में ही प्रयोग होंगे और औचित्य अथवा अन्य किसी प्रश्न के आधार पर नहीं। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का समय नष्ट हो जाता हैं। परन्तु धाराओं में केवल उच्च न्यायालय का ही निर्देश नहीं, अपितु ज़िला मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश तथा सबडिवीजनलमजिस्ट्रेट का भी तो उच्चन्यायालय के नाम में हर एक को यही कहा जा रहा है कि इन अभिवेदनों को स्वीकार ही न करें। इस मामले पर फिर से विचार होना चाहिये।

अब रहा विमुक्ति के विरुद्ध अपील करना। उपबन्ध यह है कि प्रत्येक अभियोक्ता को किसी विमुक्ति के खिलांफ उच्चन्यायालय की अनुमति से अपील करने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिये। इस से लगभग प्रत्येक मामले में फिर से अभियोग चलाया जायेगा। यह ठीक है कि थोड़ा सा मुआवज़ा मिलेगा पर उससे स्थिति नहीं बदलती है।

धारा १४५ का जो संशोधन किया जा रहा है वह ठीक है। मैं सभ्यगण पद्धति के पक्ष में हूं। हमें ऐसी सभ्यगण पद्धति रखनी चाहियें कि प्रत्येक सभ्य को उचित शिक्षा, अनुभव तथा अर्हता प्राप्त हो। उन्होंने यह उपबन्ध भी रक्खा है कि महिलायें भी सभ्यगण में होंगी। यह एक प्रगतिशील उपबन्ध है और मैं इस का स्वागत करता हूं।

धारा ३४५ के संशोधन में संघेय अपराधों की सूची में और कई प्रकार के अपराध जोड़े गये हैं। यह एक अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि इसमें अधिक से अधिक अपराध जोड़े जायें।

श्री मूलचन्द दुबे : व्यवहार-न्यायालय में मौखिक साक्ष्य देने से अधिकांशतः मामले में लोग मुकदमा हार जाते हैं। इसलिये उसमें लिखित साक्ष्य पर बहुत आधारित रहना पड़ता है। किन्तु दाण्डिक मामलों में तो पूरी तरह से मौखिक साक्ष्य पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिये दाण्डिक न्यायालयों की अपेक्षा व्यवहार-न्यायालय में कूट साक्ष्य अधिक प्रचलित है।

इस विधेयक का उद्देश्य न्याय प्रशासन से विलम्बकारिता को दूर करना तथा न्याय प्रशासन में से अन्य बुराइयों को दूर करना है। ये दोनों उद्देश्य बहुत अच्छे हैं। इस विधेयक में कुछ नई बातें रखी गई हैं इसलिये हमें इस विधेयक पर शान्तचित्त से तथा बिना किसी पक्षपात के विचार करना चाहिये।

मैं यह पहिले कह चुका हूं कि अधिकांशतः गवाह सच्चे गवाह नहीं होते, चाहे वे अभियोक्ता पक्ष के हों या अभियुक्त की ओर से हों। यह न्याय का एक अधिवचन है कि सौ अपराधी तथा दोषी व्यक्तियों का छूट जाना अच्छा है किन्तु निर्दोष तथा निरपराध व्यक्ति को दण्ड नहीं मिलना चाहिये। हमें इस सिद्धांत पर सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिये तथा यह भी विचार करना चाहिये कि आपराधिक न्याय प्रशासन की सभी हालतों में इसे लागू किया जा सकता है या नहीं। जो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं किया जा सकता। भी अपराधी व्यक्ति छोड़ा जाता है उससे समाज को खतरा पैदा हो जाता है और इस विमुक्ति के कारण वह बाद में फिर अपराध करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले

पर विचार किया जाना चाहिये वर्तमान प्रथा यह है कि अभियोग-निरीक्षण की समाप्ति तक अभियुक्त कुछ नहीं कह सकता । वह केवल अभियोक्ता पक्ष के गवाहों द्वारा गवाही दिये जाने के बाद ही अपना बयान देता है और उससे जिरह की जाती है जिसमें उसकी कमजोरियां निकालने की कोशिश की जाती है और इसके बाद वह अपना बयान देता है । फिर उससे अपनी सफाई प्रस्तुत करने के लिये कहा जाता है और वह अपने गवाह पेश करता है । मैं इस बात को नहीं मानता कि हम लोग दूसरों की अपेक्षा कूट साक्ष्य तथा झूठी गवाही देना अधिक पसन्द करते हैं । जब अभियुक्त अपनी सफाई पेश करता है और अपने गवाह पेश करता है तब उसे स्वतंत्र गवाह मिलना मुश्किल हो जाता है । वह अपनी सफाई में अपने सम्बन्धी तथा मित्रों को ही पेश कर सकता है । अब प्रश्न यह है कि क्या अभियोग निरीक्षण के दौरान में अभियुक्त से प्रश्न किये जाने के कारण अभियुक्त को कोई हानि होती है ? मैं समझता हूं कि उसे कोई हानि नहीं होती । जो अच्छी प्रकार से अपनी सफाई पेश कर सकता हो वह यह कह सकता है कि उसने अपराध किया है या नहीं । मैं समझता हूं कि अभियुक्त को ऐसी लाभप्रद स्थिति में नहीं रखना चाहिये जिससे वह अपने अपराध के दण्ड से बच सके ।

इस विधेयक में त्रुटियां और कमियां हैं । इसमें जो भी त्रुटियां हैं सदन को उन पर पूर्णरूप से विचार करना चाहिये और इसमें यथा संभव अधिक सुधार करना चाहिये । यहां यह भी कहा गया है कि पुलिस का सुधार करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं । किन्तु हमें जो पैम्फलेट दिये गये हैं उनसे पता लगता है कि पुलिस के सुधार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । पुलिस या न्यायपालिका का एक दिन में तो सुधार नहीं किया जा सकता । इसलिये दण्ड प्रक्रिया संहिता में सुधार करने के लिये जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उन पर तथा जो भी उपबन्ध किये जा रहे हैं उन पर उचित रूप से विचार किया जाय जिससे ऐसा सम्भव न हो सके कि अपराधी व्यक्ति अपने अपराध के दण्ड से बच जाये और निर्दोष व्यक्ति को दण्ड मिले । प्रत्येक पक्ष को न्यायालय के सामने अपना मामला, जिस प्रकार से वह रखना चाहे, रखने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिये । लोगों को भी न्यायालय में जाने से पहिले यह मालूम होना चाहिये कि वह मामला किस प्रकार चलाया जायगा और अभियोग-निरीक्षण किस प्रकार किया जायगा जिससे वे न्यायालय की बेकार की जिरह से बच सकेंगे । यदि यह उद्देश्य पूरा हो जाय तो फिर इस विधेयक की इस प्रकार आलोचना किये जाने का कोई कारण नहीं है ।

इस विधेयक में मुझे कुछ दोष मालूम पड़े हैं । खंड ६ द्वारा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों को अधिक अधिकार दिये जाने की प्रस्तावना है । मेरा निवेदन यह है कि जब तक न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक न कर दिया जाय, तब तक ये प्रस्तावित अधिकार मजिस्ट्रेटों को नहीं दिये जाने चाहियें ।

धारा १४५ के अनुसार जिसका उद्देश्य विलम्बकारिता को दूर करना है, जब मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो कि किसी सम्पत्ति के कारण शान्ति भंग होने की आशंका है तो वह उस सम्पत्ति की कुर्की कर सकता है और दोनों पक्षों से न्यायालय में जाने के लिये कह सकता है । किन्तु इसका बहुत दुरुपयोग किया जा सकता है । जिस व्यक्ति का किसी सम्पत्ति पर कोई अधिकार होगा वह न्यायालय में न जाकर उसके मालिक से झगड़ा करके उसे कुर्क करवा देगा और दूसरे पक्ष को न्यायालय में जाना पड़ेगा और सम्पत्ति का स्वामित्व सिद्ध करने का उत्तरदायित्व सम्पत्ति के मालिक पर पड़ेगा और उसे सम्पत्ति का स्वामित्व भी छोड़ना पड़ जायगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि धारा

[श्री मूलचन्द दुबे]

१४५ के संशोधन को छोड़ देना चाहिये और इस विषय से सम्बन्धित वर्तमान धारा को इसी प्रकार रहने देना चाहिये ।

सभापति महोदय : आपने अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं किया । इसके पश्चात् श्री मूल चन्द दुबे ने खंड ६, १७, १८, १९, २२, २९, ३६, ३७, ९२, ९८ तथा खंड ११२ के सम्बन्ध में अपने संशोधन प्रस्तुत किये ।

धारा १६२ को हटाये जाने के बारे में भी बहुत अधिक कहा गया है । किन्तु मैं समझता हूं कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण या गम्भीर नहीं है । यदि इससे अभियोक्ता पक्ष को गवाह के बयान को पुष्ट करने का अवसर मिलता है तो यह पुष्टि सारवान साक्ष्य नहीं हो सकती, जैसा कि खंडन सारवान् साक्ष्य नहीं हो सकता इसलिये मेरी यह सम्मति है कि धारा १६२ का हटाया जाना, जिससे पुलिस या अभियोक्ता पक्ष अपनी डायरी में इस बयान को गवाह की पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में लिख सकते हैं, उचित नहीं है । इस धारा को बयानों की पुष्टि करने के लिये प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिये, यद्यपि इसे खंडन के लिये किया जा सकता है । इसलिये मैं समझता हूं कि धारा २०७ तक के अन्तर्गत जहां इस बात का उपबन्ध है कि जांच करने वाले अधिकारी द्वारा अभियोक्ता के पक्ष के गवाहों के लिखे गये बयानों की प्रतियां अभियुक्त को दी जानी चाहियें, उसमें एक यह परंतुक जोड़ दिया जाय कि जांच के दौरान में पुलिस द्वारा लिखे गये वे बयान गवाहों की साक्षी की पुष्टि के लिये प्रयुक्त नहीं किये जायेंगे ।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : डा० काटजू ने निवारक-निरोध विधेयक, तथा प्रेस (आपत्तिजनक विषय) विधेयक जैसे प्रतिक्रियावादी विधेयक प्रस्तुत किये हैं । अपने विधेयक प्रस्तुत करते समय डा० काटजू यह कहते हैं कि वह इनको वकालत के चालीस वर्ष के अपने अनुभव के आधार पर प्रस्तुत करते हैं । इस बात पर मेरा उनसे कोई विवाद नहीं है । निश्चय ही उन्होंने इस पर अच्छी प्रकार से विचार किया है और इसके लिये उनके अपने तर्क हैं । वह अपने बहुमत दल को बारबार यह कहा करते हैं कि उन्होंने वकालत के चालीस वर्ष के अनुभव के आधार पर इस विधेयक पर ध्यानपूर्वक विचार किया है ।

देश की दंड विधि में परिवर्तन किया जाना चाहिये । यह प्रक्रिया विधि में ही नहीं अपितु मूल विधि में भी परिवर्तन करने का प्रश्न है । कई बार इस बात के वचन देने के बाद कि वह एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे अब डा० काटजू ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं । इस विधेयक की तीव्र आलोचना सभी दल के सदस्यों ने की है । ध्यानपूर्वक विचार करने से इस विधेयक की बुराइयां मालूम हो सकती हैं । डा० काटजू का कहना है कि सरकार ने न्यायपालिका को पृथक कर दिया है । कुछ राज्यों में, उदाहरणार्थ मद्रास में, तो यह प्रयत्न किया गया है किन्तु मजिस्ट्रेट अब भी पुलिस के कब्जे में है । न्यायपालिका अभी पूरी तरह से पृथक् नहीं की गई है । अभियुक्त को जो थोड़ी सी सुविधायें प्राप्त थीं इस संशोधन द्वारा उन्हें भी हटाया जा रहा है ऐसी अवस्था में अभियुक्त के लिये मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और अधिक कठिनाइयां पैदा हो जायगी ।

गृह-मंत्री को यह देखना चाहिये था कि दंड प्रक्रिया संहिता की कुछ धाराओं का जिन का अधिक से अधिक दुरुपयोग किया जाता है, निरसन किया जाये । मेरा निर्देश धारा १४४ और १०७ की ओर है । इनके निरसन के लिये माननीय गृह-मंत्री ने क्यों कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया? यदि आप पुराने आंकड़े देखें तो आप को मालूम होगा कि धारा १४४

का जितना प्रयोग वर्तमान कांग्रेस शासन के दौरान में किया गया है, उतना अंग्रेजों के राज में नहीं किया गया था। अब तो हर बात के लिये धारा १४४ के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिये जाते हैं। निर्वाचनों से पहले भी और निर्वाचनों के बाद भी ऐसे आदेश जारी किये जाते हैं। गत साधारण निर्वाचनों में मेरे राज्य में साम्यवादी दल के नेताओं के सिवाय शेष सब दलों के नेताओं को आंदोलन करने दिया गया था। श्री ए० के० गोपालन जब एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश करते थे, तो सब से पहला व्यक्ति जो उन्हें मिलता था पुलिस अधिकारी होता था, जिस के पास श्री गोपालन को दिखाने के लिए धारा १४४ का आदेश रहता था। इस के अनुसार श्री गोपालन को वहां भाषण देने की आज्ञा नहीं थी। साम्यवादी नेताओं को चुनाव सम्बंधी आंदोलन करने से रोकने के लिये प्रत्येक ज़िला के ज़िला मैजिस्ट्रेट ने धारा १४४ के अन्तर्गत एक आदेश जारी कर दिया था। आश्चर्यजनक बात यह है कि चुनाव के बाद भी प्रत्येक ज़िले में धारा १४४ लागू रखी गई और इस की शर्त यह थी कि अन्तिम चुनाव का परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह बाद तक कोई सभा न की जाये। मैं डा० काटजू से पूछता हूं कि क्या किसी अन्य देश में भी ऐसी स्थिति है, क्या किसी अन्य देश की प्रक्रिया संहिता में ऐसा उपबन्ध है ?

धारा १०७ और अगली कुछ धाराओं के सम्बन्ध में भी स्थिति इसी प्रकार की है। अब तक मैजिस्ट्रेट द्वारा अधिकार के प्रयोग पर कुछ प्रतिबन्ध है, क्योंकि वर्तमान विधि के शब्दों के अनुसार उस का क्षेत्राधिकार सीमित है। डा० काटजू अब इसे बदलना चाहते हैं और उन्होंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है, जिसके अन्तर्गत कोई ज़िला मैजिस्ट्रेट या प्रथम श्रणी का मैजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के बाहर भी कार्यवाही कर सकेगा। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए त्रावनकोर-कोचीन पुलिस की ओर से यह रिपोर्ट आती है कि यदि श्री पुन्नूस और श्री श्रीकांतन् नायर सत्र के बाद वहां गये, तो शान्ति भंग होने का खतरा होगा। दिल्ली मैजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट करने के बाद वह धारा १०७ के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

अब मैं मानहानि सम्बन्धी उपबन्ध को लेता हूं। इसके अधीन आने के लिए किसी व्यक्ति को भाषण देने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई व्यक्ति डा० काटजू को चिट्ठी भेज दे, तो भी वह इसके अधीन आ जायेगा। मान लीजिये मैं त्रिवेन्द्रम से लिखता हूं कि "केन्द्रीय सरकार का अमुक पदाधिकारी शराब के नशे में चूर रहता है।" ऐसा लिखने से ही यह समझा जायगा कि उस अधिकारी की मानहानि की गई है, क्योंकि यह चिट्ठी डा० काटजू के निजी सचिव, क्लर्क, टाइपिस्ट आदि सब पढ़ेंगे। मैं तो समझता हूं कि एक ऐसी सरकार को जो भ्रष्टाचार दूर करने के लिए उत्सुक है, उन लोगों का स्वागत करना चाहिये जो कि साहस कर के पदाधिकारियों के कुकर्मों पर से परदा हटाना चाहते हैं और उनके दोष बतलाना चाहते हैं। डा० काटजू के इस नये उपबन्ध से बहुत से उच्चाधिकारी लाभ उठायेंगे। सरकार लोगों को प्रोत्साहन देने की बजाये, इसे हस्तक्षेप अपराध घोषित कर रही है। मैं अब भी गृह मंत्रालय के कुछ ऐसे पदाधिकारियों का नाम ले सकता हूं, जिन्हें कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी सरकारी सेवा में नहीं रहने देना चाहेगा। किन्तु यदि मैं, डा० काटजू को लिखूं तो मेरे विरुद्ध मानहानि के अपराध में तुरन्त कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

गृह मंत्री ने कहा है कि कूटसाक्ष्य बहुत फैला हुआ है। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या उन्होंने कभी इसके कारण पर विचार कया है। इसका कारण केवल यह है कि पुलिस

[श्री वी० जी० नायर]

गवाहों को सिखलाती है, उन्हें बल प्रयोग द्वारा बाध्य करती है कि वे झूठी गवाही दें। गवाह अपने वक्तव्य से बाद में मुकर नहीं सकता, क्योंकि यदि उसने ऐसा किया तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। क्या डा० काटजू ने ऐसे पग उठाये हैं जिनके द्वारा पुलिस को लोगों को झूठी गवाही देने के लिये बाध्य करने से रोका जा सके ? जब पुलिस कोई मुकदमा शुरु करती है, तो उसका एक-मात्र उद्देश्य यह होता है कि अभियुक्त को किसी न किसी तरह दंड दिलाया जाये। डा० काटजू का मुख्य उद्देश्य भी यही है। अभियुक्त को अपनी सफ़ाई देने के लिए कोई सुविधा नहीं है। पहले अभियुक्त को कुछ अधिकार थे। अब डा० काटजू एक एक करके उन्हें वापस ले रहे हैं। मुझे भय है कि डा० काटजू 'पुलिस राज' की बुनियादें पक्की कर रहे हैं। पुलिस का मैजिस्ट्रेटों के साथ गठजोड़ रहता है और वे पुलिस पर ही निभर रहते हैं। इनकी पदोन्नति कार्यपालिका के हाथ में है। जब तक यह स्थिति रहेगी, इस प्रकार के संशोधनों से, लोगों को जो न्याय मिलेगा वह "न्यायिक" न्याय नहीं होगा बल्कि कार्य-पालिका न्याय होगा।

मुझे हर्ष है कि डा० काटजू ने आखिर कुछ अपराधों को संघेय बना दिया है। किन्तु मैं इसके सिद्धांत से सहमत नहीं हूं। उदाहरण-तया धारा ३८० के अन्तर्गत चोरी एक संघेय अपराध है। पुलिस ऐसे मामले में बहुत कुछ कर सकती है। पुलिस कुछ मामलों में लोगों पर आरोप लगाती है किन्तु वह उनसे रिशवत लेकर उनसे संधि करने के लिये जोर दे सकती है। इससे सरकार के लिये भी कुछ अवांच्छनीय कार्य करने की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि सरकारी माल की बहुत चोरी होती है और बड़े बड़े पदाधिकारियों का इस में हाथ होता है। सरकार कह सकती है कि यह संघेय अपराध है और माल के बरामद होने की कोई आशा नहीं। अतः पदाधिकारी की सेवा बनी रहती है। लाखों रुपये के माल की चोरी के मामले में भी यदि सरकार कर्मचारी पुलिस पर प्रभाव डाल कर अपराध को संघेय करा सकता है, तो उसे कोई डर नहीं रहता। डा० काटजू ने ऐसे कर्मचारियों को बचाने के लिये यह उपबन्ध रखे हैं।

मैं डा० काटजू को चेतावनी देता हूं कि यदि वे सारे विधेयक को वापस लेने के लिये तैयार नहीं हैं, तो सारा देश इस अरुचि-कर विधेयक के विरुद्ध उठ खड़ा होगा, क्योंकि वह इसे परिचालित करने के लिये भी तैयार नहीं हैं।

मैं प्रवर समिति से भी अपील करता हूं कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या संहिता के उन विधि विरुद्ध उपबन्धों का निरसन नहीं कर देना चाहिये, जिन के बारे में डा० काटजू बिल्कुल चुप रहे हैं।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधन के बारे में पिछले चार दिनों से वाद-विवाद चल रहा है। इस वादविवाद में दो रायें प्रकट की गई हैं। एक पक्ष की राय यह है कि हमारा विधेयक अधिक व्यापक और अधिक कड़ा होना चाहिए था। दूसरे पक्ष ने इसकी कटु आलोचना की है और कहा है कि अभियुक्त के अधि-कार तथा विशेषाधिकार छीने जा रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने इस की तुलना निवा-रक निरोध अधिनियम या प्रैस (आपत्ति-जनक विषय) अधिनियम से की है। यह बिल्कुल गलत बात है। ये अधिनियम एक विशेष प्रयोजन के लिये और संकटकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिये है। इस संशोधक विधेयक का उद्देश्य देश में फ़ौज-

दारी प्रशासन का सुधार करना है। हम जानते हैं कि वर्तमान संशोधक विधेयक पारित कर देने से फ़ौज़दारी विधियों का प्रशासन उत्तम नहीं हो जायेगा। अन्य बातें भी हैं हम चाहते हैं कि जनता यथासंभव अधिक से अधिक सहयोग दे। हम जानते हैं कि पुलिस व्यवस्था में भी सुधार करने की आवश्यकता है। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिये कि फ़ौज़दारी न्याय प्रशासन में सहायता देना न केवल उस का कर्तव्य है, बल्कि विशेषाधिकार भी है। यह संशोधक विधेयक इसलिये सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह उन बहुत से उपायों में से एक है जिनके द्वारा सरकार समाज का सुधार करना चाहती है।

अब देखना यह है कि दंड न्याय का उद्देश्य क्या है? देश में ऐसे समाज-विरोधी लोग विद्यमान हैं जो दूसरों के अधिकारों का मान करने के लिए उद्यत नहीं हैं। अपराध युक्त कार्यों की रोक थाम करना सरकार का कर्त्तव्य है और यदि कोई इस प्रकार की क्रिया हो जाए तो अपराधियों को दंड देना भी इसी का काम है इन अवस्थाओं को देखते हुए हमें कुछ एक कारकों तथा व्यक्तियों को ध्यान में रखना होता है। एक तो है साधारण जनता। साधारण जनता की यह प्रबल आकांक्षा रहती है कि उन्हें न्याय मिलता रहे। उदाहरणार्थ, यदि किसी मनुष्य की हत्या हो जाती है या कहीं चोरी हो जाती है तो उसें स्वयं समाज के विरुद्ध अपराध समझना चाहिए। यदि कोई ऐसा अपराधी जिस ने वास्तव में अपराध किया है किन्हीं टेक्निकल त्रुटियों अथवा कारणों से, जिनका न्याय प्रशासन से कोई सम्बन्ध नहीं है, न्याय के पंजे से निकल जाता है तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि समाज के हितों को हानि हुई है। अतः, जब कभी दंड विधान में संशोधन करने अथवा उसकी किसी प्रणाली को स्थापित करने का प्रश्न उठता है तो हमें सर्वप्रथम समुदाय के बड़े हितों को ध्यान में रखना होता है। दो बातें देखनी होंगी। एक तो यह कि किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से सताया न जाय और किसी निर्दोष को दंड न मिलने पाए। यह सिद्धान्त मान लिया गया है। इस के साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि इस बात पर भी उतना ही ज़ोर दिया जाना चाहिए कि जो वास्तव में दोषी हों उन्हें अवश्य दंड मिलना चाहिए। यह चीज मनु के समय में भी थी। मनु की प्राचीन प्रणाली के अनुसार एक राजा के दो कर्तव्य होते हैं। उन्होंने कहा है:

अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा
दण्ड्यांश्चै वाप्यदण्डयन्।
अयशो महदाप्नोति
नरकं चाधि गच्छति॥

हमें अन्य पहलुओं से कुछ सम्बन्ध नहीं है। जहां तक भारतीय न्याय शास्त्र का सम्बन्ध है हमें इस बात को ध्यान में रखने का अधिकार है कि जिस प्रकार एक निर्दोश व्यक्ति को बचाना आवश्यक है उसी प्रकार एक दोषी व्यक्ति को अवश्य दंड मिलना चाहिए।

जहां तक वर्तमान दंड विधान का सम्बन्ध है हमने अंग्रेज़ी विधान के इस सिद्धान्त का अनुसरण किया है कि एक सौ दोषी व्यक्ति भले ही बच कर निकल जाएं किन्तु एक भी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। किसी सीमा तक यह सिद्धान्त अच्छा है। किन्तु समाज की रक्षा के हेतु तथा एक ऐसे समाज का नर्माण करने के लिए जो ऐसे नीच तत्वों से रहित हो हमें इस सिद्धान्त के दूसरे पहलू को भी ध्यान में रखना होगा, अर्थात् यह कि दोषी को दंड देना ही होगा। अतः मैं इस सदन से तथा प्रवर समिति से यह

[श्री दातार]

अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रश्न पर विचार करें। इंगलैण्ड में भी आजकल इस सिद्धान्त का कुछ अधिक प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, जब उस समय की भारत सरकार यहां के लिए दंड विधान बना रही थी तो उन्होंने यहां की विशेष परिस्थितियों तथा जनता की असहाय सी दशा को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया कि अभियुक्त को अधिक से अधिक संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। हमारे वर्तमान विधान का विकास प्रायः विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर हुआ है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जब भी कोई अभियोग प्रारम्भ होता है तो कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जिन में अभियुक्त की दोष सिद्धि हो ही नहीं सकती। कुछ टेक्निकल प्रकार की त्रुटियां आ खड़ी होती हैं। इस के अतिरिक्त एक और चीज़ भी होती है जिसे शंकालाभ कहा जाता है। किसी भी साधारण व्यवहार वाद में हम देखते हैं कि यदि वादी अथवा प्रतिवादी के पक्ष में प्रबल विश्वास पाया जाता हो तो उसके पक्ष में डिग्री हो जाती है। किन्तु यदि किसी दंड अभियोग में मैजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे शंका उत्पन्न होती है तो हमारे विधान के अनुसार इस का लाभ अभियुक्त को पहुंचता है।

श्री देवेश्वर शर्मा : कुछ शंका नहीं, पर्याप्त शंका।

श्री दातार : यदि पर्याप्त शंका होती है तो उस का लाभ अभियुक्त को मिलता है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि किन्हीं वैधानिक त्रुटियों के कारण अथवा इस शंका लाभ के सिद्धान्त के कारण अथवा इसलिए कि केस की जांच में कुछ दोष रह गया होता है, अभियुक्त को विमुक्ति मिल जाती है जो हमारे विधान के अनुसार तो ठीक ही होती है किन्तु देश के बड़े हितों के अनुकूल नहीं होती। कई बार हत्यारों को साफ बच कर निकलते देखा गया है। मैं सदन को यह बात सच्चे भाव के साथ जतलाना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं से न्याय में जनता का विश्वास उठ जाता है अतः एक नैतिक पतन की भावना उत्पन्न होने लगती है। वकील तो अवश्य प्रसन्न होता है कि उस ने अपने आदमी को बचा लिया किन्तु स्थानीय लोगों को प्रायः इस बात का पता होता है कि इसी आदमी ने हत्या की है। साधारण जनता में ऐसी चीज़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वे अपने आप को असुरक्षित समझने लगते हैं। उन्हें न्याय में विशवास नहीं रहता।

श्री एन० एस० जैन : क्या इस विधेयक में कोई ऐसा उपबन्ध है जिससे शंकालाभ प्रणाली का विपर्यय किया जायेगा।

श्री दातार : विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। मैं केवल बात के दूसरे पहलू की ओर ध्यान दिलाना चाहता था। ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि आखिर देश के हित के लिये हमें ऐसी दंड प्रक्रिया संहिता बनानी है जिस से अपराधियों को दण्ड देकर तथा निर्दोष व्यक्तियों को कानून के पंजे से छुड़ा कर देश के हित की रक्षा की जाये। हम ने अपने सामने यही उद्देश्य रखा है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : क्या आप ऐसे लोक

न्यायालय के पक्ष में हैं जिसमें जनता द्वारा ही खुलेआम परीक्षण किया जाये ?

श्री दातार : और जिन बातों का निर्देश किया गया है मैं उन का संक्षिप्त वर्णन करूंगा ।

श्री वी० पी० नायर : इस बात के बारे में आप क्या कहते हैं ?

सभापति महोदय : यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक बात का उत्तर दिया जाये ।

श्री वी० पी० नायर : हम यही समझेंगे कि वे जवाब दे नहीं सके ।

श्री दातार : कहा गया है कि हम ने इस सारे प्रश्न पर विचार किये जाने के लिये एक दण्ड विधान आयोग क्यों नहीं नियुक्त किया । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं आशा करता हूं कि सभा माननीय गृह मंत्री को इस बात पर बधाई देगी कि उन्होंने सदन में घोषणा करने के दस महीने बाद ही यह विधेयक प्रस्तुत किया है । मैं ने इस बात का निर्देश इस लिये किया कि इस प्रकार के आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और उस पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा विचार करने में कम से कम तीन वर्ष लग जाते । अतः सरकार द्वारा विधेयक प्रस्तुत करने में तीन वर्ष लग जाते । ज्यों ही वर्तमान सरकार ने कार्यभार सम्भाला उस ने देखा कि अभिलेखों में राज्य द्वारा तथा अन्यथा भी बहुत लोक मत प्रकट किया गया है । इस लिये सरकार ने राज्य सरकारों को एक विस्तृत पत्र लिखा जो १९५३ के आरम्भ में वकील संघों तथा न्यायाधीशों में परिचालित किया गया और हमारे पास काफ़ी राय भेजी गई । गत वर्ष में हमारी प्रस्थापना कई बार प्रकाशित हुई है और समाचारपत्रों ने इस विधेयक का स्वागत किया । अंग्रेजी तथा देशी भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों ने इस विधयक के मूल तत्वों का स्वागत किया ।

उस के बाद राज्यों ने अपनी प्रस्थापनायें भेजीं और हमें जनता की राय, समाचारपत्रों की राय तथा राज्यों की राय भी प्राप्त हुई । इस पर विचार करके हमें यह अनुभव हुआ कि हमें काफी अच्छी जनता की राय प्राप्त हुई है जिस के आधार पर सरकार, अपने निष्कर्ष निकालकर, सदन के समक्ष विधेयक का प्रारूप रख सकती थी । यद्यपि हमें इतनी राय प्राप्त हुई है, फिर भी माननीय गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप में कहा है कि यह मामला देश के हित की दृष्टि से अति महत्व-पूर्ण है और इस पर बिना किसी पक्षपात की भावना के विचार किया जायेगा क्योंकि हमें इस विधेयक को पारित करने से ही संतोष नहीं होगा अपितु हमारी इच्छा यह है कि स्वयं समाज में सुधार किया जाये । यह उन उपायों में से एक है जो समाज की रूपरेखा का सुधार करने के लिये किये जाने हैं । इसी प्रयोजन से यह विधयक प्रस्तुत किया गया है ।

कहा गया था कि इस विधेयक को जनता ने पसंद नहीं किया है । मैं सच्चे दिल से यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के जो मूल तत्व हैं वे ऐसे हैं कि यह लोकप्रिय हो ही जायेगा क्योंकि जनता की अभियुक्त में ही रुचि नहीं है । उन्हें न्याय की व्यवस्था में रुचि है । उनको रुचि इस बात में है कि अभियोक्ता, जिसको कि कष्ट पहुंचा है, के हित की रक्षा हो । अभियोक्ता को हक़ है कि हम से न्याय की मांग करे और उस का हक्क अभियुक्त से भी ज्यादा है । हम ने भी यह विधेयक इसी लिये प्रस्तुत किया है ।

इस विधेयक के तीन चार पहलू हैं जिन के बारे में मैं आप से कुछ कहना चाहता

[श्री दातार]

हूं : एक आपत्ति यह उठाई गई थी कि वर्तमान दण्ड न्याय पद्धति ऐसी है कि इस में समय बहुत लगता है, खर्चा भी बहुत लगता है और यह बहुत जटिल भी है। इस में समय तो बहुत लगता था, परन्तु विधान में ही कुछ ऐसे उपबन्ध थे कि न्यायालयों तथा मजिस्ट्रेटों को समय समय पर मामले स्थगित करने ही पड़ते थे। ऐसे भी कुछ उपबन्ध थे जिन का दुरुपयोग किया जाता था और इस बात को रोकने में मजिस्ट्रेट भी समर्थ नहीं थे। उदाहरण के लिये मैं कुछ उपबन्धों का संक्षिप्त निर्देश करूंगा जिन का, दुरुपयोग कर के, स्थानान्तरण के अभिवेदन पत्रों को अथवा नये सिरे से परीक्षण कराने के मामलों में अभियुक्त बहुत समय के लिये परीक्षण चालू रखवा सकता था। वह न्याय के उद्देश्य को बिगाड़ तो नहीं सकता था परन्तु इस प्रकार देर लगा सकता था।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : मैं जान सकता हूं कि निर्दोश अभियुक्त के लिये क्या बचाव हैं ?

श्री दातार : मुझे केवल अभियुक्त के बचाव में रुचि नहीं है, मुझे सामान्य समाज के हित में रुचि है और इस लिये मैं इस मामले को प्रतिवाद की दृष्टि से नहीं देखता हूं। मैं इस मामले पर लोक हित की दृष्टि से विचार करता हूं और मैं आप को यह भी बता सकता हूं कि संशोधित रुप में भी अभियुक्त के बचाव तथा संरक्षण के लिये पर्याप्त उपबन्ध रहेंगे। अभियुक्त के हितों की रक्षा करने का यह अभिप्राय नहीं कि उस को साक्षियों का जब चाहे तब और जितनी भी बार वह चाहे, प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति दी जाये। यह एक ऐसा उपबन्ध है जिस को अवश्य हटाया जाना है। यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो अभियुक्त अथवा उस के वकील को यह पता होना चाहिये कि वह अपनी सफाई में क्या कह सकता है और वह साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने के लिये उस समय तैयार होना चाहिये जब वे उपस्थित हों। वह विधि के उपबन्धों पर निर्भर नहीं रह सकता और वह जब चाहे तब अपनी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न अवस्थाओं में प्रतिपरीक्षण नहीं कर सकता। यह बात अच्छी तरह समझी जानी चाहिये और आप अभियुक्त के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को इतना विस्तृत नहीं कर सकते जिस से कि मुकदमा स्थगित रहता रहे। मेरा विचार है कि अपराध सम्बन्धी मामलों में परीक्षण यथा सम्भव शीघ्र समाप्त होना चाहिये, यदि वध के मामले में परीक्षण हो रहा है और तीन वर्ष बाद अभियुक्त को सिद्धदोष करके उसे दण्ड दिया जाता है तो इसका नैतिक प्रभाव जाता रहता है क्योंकि इतनी देर में लोग यह बात भूल जाते हैं। साथ ही और भी कुछ जटिलतायें उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि परीक्षण शीघ्र हो और अभियुक्त के साथ कोई अन्याय न हो परन्तु साथ ही वह अनुचित लाभ भी न उठा सके।

जैसा माननीय गृह मंत्री ने बताया, हम चाहते हैं कि सर्व साधारण जनता यह अनुभव करे कि डिक न्याय के सम्बन्ध में उन्हें सरकार के साथ अधिक से अधिक सहयोग करना है। हम कुछ उपबन्ध इसी लिये कर रहे हैं कि लोग यह समझें कि उनका कर्तव्य यह है कि वह न केवल साक्ष्य के रूप में ही सरकार की सहायता करें अपितु जांच तथा पूछ ताछ के मामले में भी।

पुलिस की बहुत आलोचना की गई है। पुलिस हमारा एक अंग है, इसका अधिक से अधिक सुधार करना है। परन्तु यह कहना

गलत है कि सारी की सारी पुलिस खराब है और मजिस्ट्रेट उनकी कठपुतली हैं। ऐसा कहने में विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने ज्यादती की है। सरकार की ओर से मैं इस आरोप का कड़ा विरोध करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि यह सर्वथा गलत बात है कि मजिस्ट्रेट निष्पक्षता तथा कार्यपटुता से काम नहीं करते। सारे मजिस्ट्रेट वर्ग को बुरा बताना बहुत गलत बात है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या इसका आशय यह है कि कार्यपालिका और न्याय-पालिका को पृथक् रखना आवश्यक नहीं ?

श्री दातार : यदि माननीय सदस्य एक मिनट ठहरे होते मैं इस बात पर भी आता। अधिकांश राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् रखा गया है। मेरे माननीय मित्र श्री एस० एस० मोरे के राज्य में भी ऐसा ही है।

इस के अतिरिक्त आप को मालूम होगा कि मजिस्ट्रेटों के लिये सेवा-शर्तें निश्चित करना कार्यपालिका के हाथ में नहीं है अपितु उच्चन्यायालयों के हाथ में, इस बात का अभिप्राय भली भांति समझा जाना चाहिये। सारी न्यायपालिका उच्चन्यायालय के अधीन कार्य कर रही है और कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक् रखने का यही मूल सिद्धान्त है।

श्री देवेश्वर सर्मा : क्या दिल्ली में भी यही बात है।

श्री दातार : दिल्ली भाग 'ग' राज्य है और इस सम्बन्ध में हमारे पास भाग 'ग' राज्य शासन अधिनियम है। दिल्ली तथा अन्य राज्यों के बारे में भी हम चाहते हैं कि जनता की सरकारें इस प्रश्न पर विचार करें। परन्तु उन्हें शायद अपनी कुछ कठिनाइयां होंगी।

उच्च न्यायालय का देश की न्यायपालिका पर जो नियंत्रण है मुझे उस पर पूरा विश्वास है। यद्यपि आदेश सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं, अन्तिम निर्णय उच्चन्यायालय का ही होता है। नियुक्ति, स्थानान्तरण आदि के मामले में भी उच्चन्यायालय को सम्पूर्ण अधिकार हैं। इस बात के दृष्टिगोचर मैं समझता हूं कि जो कुछ आलोचना कुछ सदस्यों ने की वह अनावश्यक थी।

वकीलों के बारे में भी कुछ कहा गया है। जहां तक वकीलों का सम्बन्ध है उनमें से बहुत से ऐसे प्रलोभ में नहीं पड़ सकते। यह कहना बिल्कुल गलत है कि वकील कूटसाक्ष्य का प्रोत्साहन करते हैं।

न्याय व्यवस्था का एक अंग तो वकील भी है और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वकील अपना काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। हो सकता है इधर उधर कोई बुरा आदमी हो, परन्तु सामान्यतः सब अच्छा काम करते हैं। इस सम्बन्ध में मैं सारे सदस्यों और विशेषकर उन में से वकीलों को अध्यक्ष की आत्मकथा पढ़ने को कहूंगा। आप देखेंगे कि हमारे यहां ऐसे महान वकील हैं जो नैतिकता को भूलते नहीं। आप गृह मंत्री की आत्मकथा को भी पढ़ सकते हैं। भारत में ऐसे वकील हैं और उन के हाथ में लोक हित सुरक्षित है।

१ म० प०

अब कुछ विवादास्पद मामले हैं जिन का मैं संक्षिप्त निर्देश करूंगा। जहां तक मानहानि का प्रश्न है, कहा जाता है कि मंत्रियों तथा

[श्री दातार]

अन्य लोक सेवक की मानहानि करना निगृहणीय अपराध नहीं होना चाहिये । इस में उबन्ध यह है कि जब ऐसी मानहानि उन को अपने कृत्य पूरा करने में बाधा डाले तो यह निगृहणीय अपराध होगा । इसमें केवल इसी बात का डर है कि यदि मुकदमा दायर किया जाये तो परिपीड़न की सम्भावना है । ऐसा कुछ मामलों में हो सकता है परन्तु व्यावहारिक रूप से यह प्रक्रिया चलाई जा रही है कि जब कभी अपने निर्णय में एक न्यायाधीश यह कहे कि जांच करने वाले अधिकारी का आचरण किसी रुप में अनुचित अथवा गलत रहा है तो सरकार तत्काल इस बात की ओर ध्यान देती है और वास्तविक न्याय के हित में कार्यवाही करती है । जब कभी परिपीड़न की कोई घटना हो जाये तो सरकार उसकी ओर तुरन्त ध्यान देगी । अब भी मंत्री अथवा अन्य किसी लोक सेवक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह शिकायत करे । फिर पुलिस के अधिकारी जांच करते हैं और मामला मजिस्ट्रेट अथवा न्यायाधीश के सामने जाता है और यह न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश होता है । यदि कभी इस बात का पता लगे कि किसी पुलिस के अधिकारी ने कोई गलत बात की है तो सरकार निश्चय ही अपनी शक्ति का प्रयोग करके ऐसे अपराधी को दंड देगी ।

श्री एन० पी० नथवानी (सोरठ) : क्या मैं माननीय गृह-कार्य उपमंत्री से एक बात का स्पष्टीकरण करने को कह सकता हूं ? क्या लोक सेवकों के व्यक्तिगत शील तथा आचरण के सम्बन्ध में कोई अभिरोप लगाना भी निगृहणीय अपराध माना जायेगा ?

श्री दातार : नहीं, यह निगृहणीय अपराध नहीं माना गया है ।

श्री एन० पी० नथवानी : यह कहां बताया गया है कि केवल लोक कृत्य का पालन करने से सम्बन्धित आचरण के प्रति अभिरोप लगाना ही निगृहणीय अपराध है ?

श्री दातार : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है और प्रवर समिति यदि आवश्यक समझे तो कुछ उपबन्ध करेगी । सरकार का अभिप्राय तो केवल उन ही मानहानि के मामलों से है जो लोक कृत्य तथा लोक चरित्र से सम्बन्धित हों ।

अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की भी बात उठी । अवैतनिक मजिस्ट्रेट भारत के कुछ भागों में सामान्यतः अच्छा काम करते रहे हैं । पहले यह होता था कि उनकी नियुक्ति का तरीका त्रुटिपूर्ण था । अब हम ने यह शर्त रखी है कि उन्हें न्यायिक अनुभव होना चाहिये । राज्य सरकारों ने जो शर्तें रखी हैं उन में यह भी एक है कि उन के लिये कुछ शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें भी निश्चित की जानी चाहियें । इसी कारण अवैतनिक मजिस्ट्रेट पद्धति, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही सीमा तक चलाई जायेगी ।

मैं ने मुख्य बातों का निर्देश किया है । अब मैं और समय नहीं लेना चाहता । मुझे पूरा विश्वास है कि सारे माननीय सदस्य इस विधेयक की उन मुख्य बातों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण हैं परन्तु जिनका मैं ने निर्देश नहीं किया है । मैं उन को दोहराने में समय नहीं लेना चाहता । सदन को मालूम पड़ेगा कि इन में बहुत सी बातें प्रगतिशील हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो आनरेरी मजिस्ट्रेट्स आप मुक़र्रर करेंगे उनको किसी क़िस्म की ट्रेनिंग देने की आप व्यवस्था करेंगे ?

सभापति महोदय : यह तो डिटेल की बात है, यह बाद में तय हो जायगा । इस वक्त इस को पूछने की ज़रूरत नहीं है ।

श्री नंद लाल शर्मा अपनी स्पीच शुरू करें ।

श्री नंद लाल शर्मा (सीकर) : धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते, नाधयो व्याधयश्चैव रामे राज्यं प्रशासति ।

सभापति महोदय, भारतीय दंड प्रगति पद्धति संशोधन के सम्बन्ध में जो हमारे गृह मंत्री महोदय ने परिश्रम किया है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद और बधाई देता हूं । इसमें सन्देह नहीं कि कमीशन अथवा और कितने ही प्रकार के उपायों से जो वर्षों में जाकर काम होना था, आपने उसको थोड़े से मास के अन्दर करने का प्रयत्न किया है, ऐसी परिस्थिति में किसी के प्रयत्न को निष्फल और दुर्भावना प्रेरित कह देना उचित नहीं है । यह भी हमारे ध्यान में बात आती है कि गत ५५ वर्षों के इतिहास में जो दंड पद्धति हमारे देश में अंग्रेज़ों द्वारा संचालित रही है, जो हमारे भारत की परिस्थिति को पूर्णतः न जान कर जिस प्रकार का दंड प्रयोग किया गया उससे भारत निवासी सर्वथा असन्तुष्ट हैं । भारत निवासी केवल दंड प्रयोग पद्धति से असन्तुष्ट ही नहीं बल्कि न्यायालय पद्धति से भी सर्वथा असन्तुष्ट हैं और आप लोगों को इसका भान होगा कि आज सामान्य जनता में यह आम भावना है कि न्यायालयों और अदालतों में कहीं भी सत्य का वास नहीं है । जनरली हम यह जनता को शब्द कहते सुनते हैं कि यहां तो सत्य बोल दो, यहां तो कोई अदालत नहीं है, तात्पर्य यह हुआ कि अदालत में झूट ही बोलने का काम होता है । ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने जो भी संशोधन उपस्थित हों, उनको रखते समय यह एक दृष्टिकोण हमें अपने सामने रखना होगा कि सत्य पर न्यायालय कैसे पहुंच सके ? उसके लिये मैं बड़ी नम्रता-पूर्वक निवेदन करूंगा कि उसको प्राप्त करने के लिये केवल दंड प्रयोग पद्धति में संशोधन ही पर्याप्त नहीं होगा, आपको साक्षी पद्धति, ऐवीडेंस ऐक्ट का संशोधन करना आवश्यक होगा । उसी के साथ आपका सिविल प्रोसीज्योर जो है जिसके बारे में कहा जाता है कि दीवानी मनुष्य को दीवाना कर देती है, उस सिविल प्रोसीज्योर में भी आपको संशोधन करना होगा और साथ २ में दंड विधान, पैनेल कोड में भी संशोधन करना होगा, क्योंकि सिद्धान्तः यह बात स्वीकार की जा चुकी है कि :

"दंडः सुप्तेषु जागर्ति"

जिस शासक का दंड बलवान होता है, उस शासक की प्रजा में शान्ति और सुरक्षा की भावना रहती है । परन्तु हमें दुर्भाग्यवश इस बात का अनुभव इस दिल्ली नगरी के अन्दर ही जो भारत की राजधानी है और जहां पर पार्लियामेंट बैठती है करना पड़ता है और हम देखते हैं कि दिन दहाड़े यहां पर क़त्ल होते हैं और डाके पड़ते हैं और जनता सर्वथा असहाय सी यह सब होते देखती रहती है और यह भी हमारा दुःखपूर्ण अनुभव है कि बड़े २ पुलिस आफ़िसर्स के पास पले हुए गुंडे रहते हैं और वह उन गुंडों को इसलिये पालते हैं कि वह मौक़े पर उनके काम आयें । मुझे इस बात का भी अनुभव है कि एक आध स्थान पर यदि सौभाग्यवश कोई ईमानदार और सत्य का आश्रय लेकर काम करने वाला पुलिस कर्मचारी पहुंच भी जाता है और वह मुस्तैदी से गुंडों को पकड़ना शुरू कर देता है और करप्शन और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये काम करता है तो दो दिन के अन्दर विभाग वाले अन्य लोग सब उसके शत्रु बन जाते हैं और उस बेचारे को काम करना असम्भव हो जाता

[श्री नंद लाल शर्मा]

है और वह बेचारा हम लोगों के पास आकर एकान्त में रोता है, विभाग में होने के कारण और सर्विस कंडीशन्स की वजह से वह और ज्यादा तो कह नहीं सकता, मैं चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री महोदय उस ओर भी ध्यान रक्खें। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं कि पुलिस आफ़िसर्स सारे के सारे डिस्आनेस्ट हैं, परन्तु चीज़ यह है कि जिस तरह से खड्डी का अगर एक तार बिगड़ जाय तो काम रुक जाता है और अगर उस एक तार को न सुधारा जाय तो सारे का सारा ताना ही बिगड़ जायगा और इसलिये उसको ओवरहाल करना पड़ता है, इसी तरह से हमें भी इस व्यवस्था में ओवरहालिंग करने की ज़रूरत है तभी हमारा काम ठीक तरीक़े से चल सकता है।

आज हो यह रहा है कि अच्छा आदमी काम नहीं कर पाता, जो व्यक्ति सचमुच पाप को मिटाना चाहता है वह काम करने में समर्थ नहीं होता। इसीलिये हमारे शास्त्रकारों ने और हमारे धर्म शास्त्र ने इस ओर ध्यान दिया है। चालीस वर्ष का अनुभव हमारे माननीय गृह मंत्री को है। हमारा सौभाग्य है कि वह हमारे गृह मंत्री हैं, कम से कम विदेश मंत्री नहीं हैं। हमारे घर से उनका संबंध है। मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि आप यदि आज ५५ वर्ष की उस अपनी दंड नीति की गुलामी के बाद आप भारतवर्ष का दंड विधान संशोधित करना चाहते हैं, तो आपको अपने उस पुराने दृष्टिकोण की गुलामी को छोड़ना होगा। आपको यह ध्यान नहीं आता, यद्यपि थोड़ा बहुत दंड विधान मैं ने भी उसी अंग्रेज़ी ढंग से पढ़ा है जैसे आप लोगों ने अध्ययन किया, मैं मानता हूं कि उस दिशा में आपका बहुत अनुभव है और आपने काफ़ी काम भी किया है, परन्तु मैं कहता हूं कि आपका जब तक वह दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, भारतीय सिद्धान्त जुरिसप्रुडेंस का जब तक आपके मस्तिष्क में नहीं बैठ जाता है तब तक आप मेरे दृष्टिकोण से अथवा भारतीय दृष्टिकोण से पाप और कदाचार को मिटाने में कभी समर्थ न होंगे। आपका मार्ग वही है जो मार्ग पहले आपके गुरुओं ने सिखाया, दूसरे मार्ग पर इस समय चलने के लिये तैयार नहीं हैं :

गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्।
अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यम :।

शासक केवल उन्हीं बातों के लिये दंड दे सकता है जिनको वह अपनी आंख से देखता है और जिसकी कि आप साक्षी दे सकते हैं। लेकिन जिनकी साक्षी नहीं दे सकते हैं उनके सम्बन्ध में कभी भी शासक दंड देने में समर्थ नहीं हैं। इसीलिये भारतवर्ष के अन्दर एक न्यायाधीश अपने सामने आने वाले साक्षी को कहता था और स्पष्ट रूप से कहता था :

लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हम देखते हैं कि कोर्ट्स में एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि बोलो राम राम और वह राम, राम कह देता है, न तो मजिस्ट्रेट को इस बात का ध्यान है कि उसने राम, राम कहा है और न ही कहने वाले को इसका कोई ध्यान है कि उसने गवाही देने से पहले राम शब्द का उच्चारण किया है और हमारी यह अवस्था आज इस कारण है कि लोगों का धर्म में विश्वास नहीं रह गया है, आपकी सेकुलर गवर्नमेंट ने लोगों के अन्दर से उस धर्म के तत्व को नष्ट कर दिया है और उसका फल यह है कि आप हज़ार बार अमरीका, इंग्लैंड आदि देशों की तरह संसार के कल्याण के लिये चिल्लाते हैं लेकिन कार्य वही होता है जो संसार का सर्वनाश करता है। मैं

इसलिये आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन सब बातों पर ध्यान देगें और तदनुसार संशोधन करेंगे । आपने इस बिल के स्टेटमेंट आफ़ आबजेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में यह दिया है कि : "People should feel the Courts to be their Courts." मैं कहता हूं कि यह कैसे सम्भव है जब कि आज हालत यह हो रही है कि जब कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो पहले पेशकार की आवाज़ आती है कि मेरा हक़ दो, उसके बाद सामने जो अर्दली खड़ा रहता है वह अपना हक़ मांगता है, ये लोग ठीक मजिस्ट्रेट की आंख के नीचे पैसा लेते रहते हैं, मजिस्ट्रेट आंख से सब कुछ देखता है लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मजिस्ट्रेट को टाईपिस्ट नहीं मिलता, मजिस्ट्रेट को दूसरा नौकर नहीं मिलता, वह वहां से हक़ की कमाई कमाता है, वह पेशकार मजिस्ट्रेट के लिये नौकर भी रखता है, उनके लिये टाईपिस्ट भी रखता है, मजिस्ट्रेट चूं तक नहीं कर सकता, ऐसी परिस्थिति में आप यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जनता यह अनुभव करे कि यह हमारी अदालतें हैं ? मैं फिर साफ़ कर दूं कि इससे यह न समझ लिया जाय कि संसार में कोई अच्छे सज्जन हैं ही नहीं, कहावत प्रसिद्ध है कि पांच उंगली सदा एक सी नहीं होतीं, लेकिन अधिकतर जनता के अन्दर यह भावना विद्यमान है कि सत्य का कोर्ट्स से कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि हम लोगों को तो पढ़ाया ही यह जाता था.....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रक्खें ।

इसके पश्चात् सभा शुक्रवार, ७ मई, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।